



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक 295 / 140व्यक-सा0 / 15

दिनांक:- 31 / 01 / 2017

सेवा में,

अपर सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

विषय:- लोक निर्माण विभाग के समूह -"क" तथा "ख" के अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कलैण्डर वर्ष 2015 के विभागान्तर्गत समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों से प्राप्त अचल सम्पत्ति का विवरण संलग्न सूची के अनुसार शासन को प्रेषित किया जा रहा है। उल्लेखित है कि क0सं0 84 से 86 पर इंगित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2013, 2014 व 2015 के अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।

संलग्न:- यथोपरि।

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि:- श्रीमती निमी सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों के अचल सम्पत्ति का विवरण उत्तराखण्ड शासन की वेब साईट ua.nic.com में प्रदर्शित किये जाने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोपरि।

(आर0सी0 पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

IT head (op)
Upload

करवाये।

3/2/17

क्र०सं०	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1	श्री शरद कुमार	मुख्य अभियन्ता	मु०अ० ए०डी०बी० पी०एम०यू० देहरादून
2	श्री ललित मोहन	निदेशक राज्य योजना आयोग	राज्य योजना आयोग
3	श्री सत्येन्द्र शर्मा	मुख्य अभियन्ता	क्षेत्रकार्यालय पितौरागढ़
4	श्री हरिओम शर्मा	मुख्य अभियन्ता	मु०अ० रा०मा० देहरादून
5	श्री खगेन्द्र प्रसाद उप्रेती	अधीक्षण अभियन्ता	9वां वृत्त देहरादून
6	श्री बी०एन० चौधरी	अधीक्षण अभियन्ता	12वां वृत्त देहरादून
9	श्री चन्द्र मोहन पाण्डे	प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता	रा०मा० वृत्त हल्द्वानी
10	श्रीमती रचना थपलियाल	अधिशाली अभियन्ता	विभागाध्यक्ष कार्यालय
11	श्री सुनील कुमार	अधिशाली अभियन्ता	प्रा०ख० नैनीताल
13	श्री कैलाश चन्द्र पन्त	अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० खटीमा
14	श्री बी०सी० पन्त	अधिशाली अभियन्ता	प्रा०ख० रुद्रपुर
16	श्री प्रत्यूष कुमार	अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० पाबौ
17	श्री अनिरुद्ध सिंह भण्डारी	अधिशाली अभियन्ता	अ०ख० थत्यूड़
18	श्री महेन्द्र कुमार	अधिशाली अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
19	श्री लीलाधर मथेला	अधिशाली अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
20	श्री संजय कुमार पाण्डे	अधिशाली अभियन्ता	अ०ख० थराली
21	श्री बलराम मिश्रा	अधिशाली अभियन्ता	अ०ख० ऋषिकेश
23	श्री दीपक गुप्ता	अधिशाली अभियन्ता	पी०आई०यू० रोड़ एण्ड ब्रिज यू०डी०आर०पी० दे०दून
24	श्री दीपक कुमार	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड चमोली
25	श्री आशुतोष कुमार	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड उत्तरकाशी
26	श्री महेश चन्द्र पाण्डे	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड रुद्रप्रयाग
27	श्री राजीव गुरुरानी	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड नैनीताल
28	श्री चतुर लाल	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	ए०डी०बी० खण्ड बागेश्वर
29	श्री उमेश चन्द्र बहुगुणा	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० काशीपुर
30	श्री अनिल चन्द्र त्रिपाठी	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	नि०ख०-2 ए०डी०बी० नैनीताल
31	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	मु०अ०कार्यालय रा०मा० हल्द्वानी
32	श्री राजेन्द्र कुमार	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	विश्व बैंक खण्ड चक्राता
33	श्री दिनेश चन्द्र आर्य	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० पितौरागढ़
34	श्री वी०आर० टम्टा	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	रा०मा० खण्ड अल्मोड़ा
35	श्री दिनेश प्रसाद आर्य	प्रभारी अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० ए०डी०बी० पितौरागढ़
36	श्री ललित मोहन बघेल	सहायक अभियन्ता वि०/या०	वि०/या० खण्ड भीमताल
37	श्री हरीश चन्द्र कोठारी	सहायक अभियन्ता वि०/या०	वि०/या० खण्ड भीमताल
38	श्री हरिशंकर शुक्ला	सहायक अभियन्ता वि०/या०	वि०/या० खण्ड भीमताल
39	श्री कमल नारायण सिंह	सहायक अभियन्ता वि०/या०	वि०/या० खण्ड भीमताल
40	श्री विश्वनाथ सेमवाल	सहायक अभियन्ता	9वां वृत्त देहरादून
41	श्री अतुल शांडिल्य	प्रभारी सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड चमोली
42	श्री अजीत सिंह	प्रभारी सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड उत्तरकाशी
43	श्री सुरेश चन्द्र पौडियाल	प्रभारी सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड रुद्रप्रयाग
44	मौ० आमिर	प्रभारी सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा वृत्त श्रीनगर
45	श्री जगत सिंह कन्याल	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० नैनीताल
46	श्री प्रकाश चन्द्र	प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० नैनीताल
47	श्री दिनेश चन्द्र	प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० नैनीताल
48	श्री पंकज राय	प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० नैनीताल

क्र०सं०	नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान
1	2	3	4
44	श्री ललित तिवारी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० आपदा खण्ड नैनीताल
45	श्री देव सिंह बसनाल	सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
46	श्री देवेन्द्र सिंह भोज	सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
47	श्री पुष्कर चन्द्र पन्त	सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
48	श्री राजेन्द्र नारायण	सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
49	श्री जय सिंह खोलिया	सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
50	श्री कैलाश रौतेला	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
51	श्री गिरीश चन्द्र जोशी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० नैनीताल
52	श्री संजय पन्त	सहायक अभियन्ता	नि०ख०-2 ए०डी०बी० देहरादून
53	श्री कृष्ण सिंह मेहता	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
54	श्री प्रकाश चन्द्र रौतेला	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
55	श्री दान सिंह	सहायक अभियन्ता	नि०ख० खटीमा
56	श्री गिरधर सिंह राणा	सहायक अभियन्ता	नि०ख० खटीमा
57	श्री बी०सी० अधिकारी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० खटीमा
58	श्री गोपाल दत्त पाण्डे	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० रुद्रपुर
59	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह नेगी	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० रुद्रपुर
60	श्री रमेश सिंह मेहरा	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० रुद्रपुर
61	श्री विनोद कुमार	सहायक अभियन्ता	प्रा०ख० रुद्रपुर
62	श्री पंकज तिवारी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख०-2 ए०डी०बी० नैनीताल
63	श्री अरविन्द कुमार	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० देहरादून
64	श्री विश्वमोहन गिरी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	सि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई० अल्मोड़ा
65	श्री नवीन ध्यानी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० पाबौ
66	श्री सीता राम डोमाल	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० पाबौ
67	श्री यतेश सिंह रावत	प्रमारी सहायक अभियन्ता	नि०ख० पाबौ
68	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे	प्रमारी सहायक अभियन्ता	मु०अ० पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय० अल्मोड़ा
69	श्री रूप सिंह भैसोड़ा	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
70	श्री हरीश चन्द्र मैनाली	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
71	श्री ललित मोहन तिवारी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
72	श्री मदन बहादुर थापा	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड हल्द्वानी
73	श्री प्रकाश सिंह रौतेला	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
74	श्री प्रवीण गुरुरानी	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
75	श्री नरेश चन्द्र पाण्डे	प्रमारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
76	श्री बसन्त बल्लभ कपकोटी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड लोहाघाट
77	श्री पूरन चन्द्र चौधरी	प्रमारी सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड अल्मोड़ा
78	श्री परमेश सिंह नेगी	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड रानीखेत
79	श्री मनोज कुमार	सहायक अभियन्ता	रा०मा० खण्ड रानीखेत
80	श्री पी०सी० जोशी	सहायक अभियन्ता	अ०ख० ऋषिकेश
81	श्री अविनाश चन्द्र	सहायक अभियन्ता	अ०ख० ऋषिकेश
82	श्री यशपाल सिंह	प्रमारी सहायक अभियन्ता	अ०ख० ऋषिकेश
83	श्री राजिन्द्र चन्द्र टप्पा	प्रमारी सहायक अभियन्ता	अ०ख० ऋषिकेश
	वर्ष 2013, 2014, 2015		
84	श्री प्रत्यूष कुमार	अधिशाली अभियन्ता	नि०ख० पाबौ
85	श्री संजय पन्त	सहायक अभियन्ता	ए०डी०बी० खण्ड देहरादून
86	श्री किशन सिंह मेहता	सहायक अभियन्ता	नि०ख० खटीमा

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
वर्तमान धारित पदहरिओम शर्मा, लोक निर्माण विभाग
मुख्य अभियन्ता, रा.स.म.ओ. नि. वि. (रा.द.वा.न.क्षेत्र) देहरादून

संवर्ग

तकनीकी

वर्तमान वेतनमान 37400-8900-67000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1. देहरादून/विक्रमनगर मम्बीबाली	भूमि 0.64 हे० (2590 वर्ग मी०)	पुष्पा शर्मा, पत्नी	अर्जित (क्रय) श्रीमती भगवती देवी दि० 13.3.1990	13.3.1990	रु० 45,000/-	Not Known	रु० 70,000/-	पत्नी के स्वामित्व
2. देहरादून/देहरादून/बल्लूपुर ग्राम	भूमि 0.164 हे० (671.41 वर्ग मी०) आवास (भवन) उपरोक्त धाम पर	पुष्पा शर्मा, पत्नी हरिओम शर्मा (स्वयं) एवं पुष्पा शर्मा (पत्नी)	अर्जित (क्रय) स्वयं व पत्नी की बचत, (जी.पी.एच. डा. 32003 तथा बैंक लोन आदि-से)	6.9.1999	रु० 4,00,000/-	Not Known	- NIL -	स्वयं व पतिवार के निवास हेतु प्रयुक्त
				3.2.2003	रु० 21,10,000/-	Not Known	- NIL -	- c/o -

स्थान:- देहरादून

दिनांक:- 31.12.2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम हरिओम शर्मा

पदनाम

मुख्य अभियन्ता, रा.स.म.ओ. नि. वि. देहरादून

विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवस्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

1. अंशकरी का पूरा नाम एवं सेवा
2. वर्तमान धारित पद

3. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है

4. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सारकारी सेवक का सम्बन्ध)

5. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)

6. वर्तमान बेटनामान (रु० में)

7. वर्तमान अर्जित करने की तिथि/वर्ष

8. सम्पत्ति की वार्षिक आय (रु० में)

9. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/बीज/बंकर/सत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी

10. अर्जन लागत (रु० में)

11. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

12. पदनाम

13. विभाग

14. हस्ताक्षर

15. दिनांक

16. स्थान

17. टिप्पणी

18. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

19. पदनाम

20. विभाग

21. हस्ताक्षर

22. दिनांक

23. स्थान

24. टिप्पणी

25. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

26. पदनाम

27. विभाग

28. हस्ताक्षर

29. दिनांक

30. स्थान

31. टिप्पणी

32. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

33. पदनाम

34. विभाग

35. हस्ताक्षर

36. दिनांक

37. स्थान

38. टिप्पणी

39. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

40. पदनाम

41. विभाग

42. हस्ताक्षर

43. दिनांक

44. स्थान

45. टिप्पणी

46. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

47. पदनाम

48. विभाग

49. हस्ताक्षर

50. दिनांक

51. स्थान

52. टिप्पणी

53. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

54. पदनाम

55. विभाग

56. हस्ताक्षर

57. दिनांक

58. स्थान

59. टिप्पणी

60. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

61. पदनाम

62. विभाग

63. हस्ताक्षर

64. दिनांक

65. स्थान

66. टिप्पणी

67. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

68. पदनाम

69. विभाग

70. हस्ताक्षर

71. दिनांक

72. स्थान

73. टिप्पणी

74. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

75. पदनाम

76. विभाग

77. हस्ताक्षर

78. दिनांक

79. स्थान

80. टिप्पणी

81. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

82. पदनाम

83. विभाग

84. हस्ताक्षर

85. दिनांक

86. स्थान

87. टिप्पणी

88. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

89. पदनाम

90. विभाग

91. हस्ताक्षर

92. दिनांक

93. स्थान

94. टिप्पणी

95. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

96. पदनाम

97. विभाग

98. हस्ताक्षर

99. दिनांक

100. स्थान

101. टिप्पणी

102. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

103. पदनाम

104. विभाग

105. हस्ताक्षर

106. दिनांक

107. स्थान

108. टिप्पणी

109. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

110. पदनाम

111. विभाग

112. हस्ताक्षर

113. दिनांक

114. स्थान

115. टिप्पणी

116. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

117. पदनाम

118. विभाग

119. हस्ताक्षर

120. दिनांक

121. स्थान

122. टिप्पणी

123. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

124. पदनाम

125. विभाग

126. हस्ताक्षर

127. दिनांक

128. स्थान

129. टिप्पणी

130. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

131. पदनाम

132. विभाग

133. हस्ताक्षर

134. दिनांक

135. स्थान

136. टिप्पणी

137. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

138. पदनाम

139. विभाग

140. हस्ताक्षर

141. दिनांक

142. स्थान

143. टिप्पणी

144. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

145. पदनाम

146. विभाग

147. हस्ताक्षर

148. दिनांक

149. स्थान

150. टिप्पणी

151. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

152. पदनाम

153. विभाग

154. हस्ताक्षर

155. दिनांक

156. स्थान

157. टिप्पणी

158. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

159. पदनाम

160. विभाग

161. हस्ताक्षर

162. दिनांक

163. स्थान

164. टिप्पणी

165. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

166. पदनाम

167. विभाग

168. हस्ताक्षर

169. दिनांक

170. स्थान

171. टिप्पणी

172. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

173. पदनाम

174. विभाग

175. हस्ताक्षर

176. दिनांक

177. स्थान

178. टिप्पणी

179. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

180. पदनाम

181. विभाग

182. हस्ताक्षर

183. दिनांक

184. स्थान

185. टिप्पणी

186. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

187. पदनाम

188. विभाग

189. हस्ताक्षर

190. दिनांक

191. स्थान

192. टिप्पणी

193. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

194. पदनाम

195. विभाग

196. हस्ताक्षर

197. दिनांक

198. स्थान

199. टिप्पणी

200. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

201. पदनाम

202. विभाग

203. हस्ताक्षर

204. दिनांक

205. स्थान

206. टिप्पणी

207. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

208. पदनाम

209. विभाग

210. हस्ताक्षर

211. दिनांक

212. स्थान

213. टिप्पणी

214. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

215. पदनाम

216. विभाग

217. हस्ताक्षर

218. दिनांक

219. स्थान

220. टिप्पणी

221. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

222. पदनाम

223. विभाग

224. हस्ताक्षर

225. दिनांक

226. स्थान

227. टिप्पणी

228. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

229. पदनाम

230. विभाग

231. हस्ताक्षर

232. दिनांक

233. स्थान

234. टिप्पणी

235. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

236. पदनाम

237. विभाग

238. हस्ताक्षर

239. दिनांक

240. स्थान

241. टिप्पणी

242. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

243. पदनाम

244. विभाग

245. हस्ताक्षर

246. दिनांक

247. स्थान

248. टिप्पणी

249. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

250. पदनाम

251. विभाग

252. हस्ताक्षर

253. दिनांक

254. स्थान

255. टिप्पणी

256. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

257. पदनाम

258. विभाग

259. हस्ताक्षर

260. दिनांक

261. स्थान

262. टिप्पणी

263. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

264. पदनाम

265. विभाग

266. हस्ताक्षर

267. दिनांक

268. स्थान

269. टिप्पणी

270. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

271. पदनाम

272. विभाग

273. हस्ताक्षर

274. दिनांक

275. स्थान

276. टिप्पणी

277. अंशकरी का नाम (बलराज मिश्रा)

278. पदनाम

279. विभाग

280. हस्ताक्षर

281. दिनांक

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा श्री 0. सी. जोगजी, अस्थाई खण्ड लोकप्रतिष्ठान बि० भुवनेश्वर 2. संवर्ग

3. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1- सगनेरी अल्मोड़ा	2 भूमि 3 एकड़ प्रकान	3 स्वयं	4 पैतृक	5	6	7	8	9
2- हार्मपुर डांडा देहरादून	2 भूमि 1/2 बीघा प्रकान	"	अर्जित	2000	-	15,000,00/-	1,44,000/-	-
3- देहरादून विकासगार अल्मोड़ा	2 भूमि 2 एकड़	स्वयं स्वयं पत्नी के नाम	"	2000-2012	-	10,000,00/-	30,000/-	-
4- देहरादून जोरहू पांती	0.32 एकड़ भवन	"	"		600,000/- 400,000,000/-		50000/-	-

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

1. श्री 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करने पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण -पत्र
(वर्ष 2016 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा :- श्री अविनाश चन्द्र
- वर्तमान धारित पद :- सहायक अभियन्ता
- संवर्ग :- 'ख'
- वर्तमान वेतनमान :- 15600-39100, ग्रेड वेतन 6800/-

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बालावाला, (देहरादून)	भूमि, 450 वर्ग गज	श्रीमती प्रीति (पत्नी)	क्रय	2010	6.00 लाख	8.00 लाख	-	
ऋषिकेश (देहरादून)	दुकान	श्रीमती प्रीति (पत्नी)	क्रय	2011	1.50 लाख	2.50 लाख	-	
ऋषिकेश (देहरादून)	मकान	स्वयं के नाम	क्रय	2000	9.00 लाख	25-30 लाख	-	

स्थान :- ऋषिकेश

दिनांक :- 27/10/16

हस्ताक्षर :-

अधिकारी का नाम :- अविनाश चन्द्र

पदनाम :- सहायक अभियन्ता

टिप्पणी :-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाये और यदि सम्पत्ति निर्मित आवसरीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गयी हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य अंकित कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य अंकित
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति के अनुसार)

2. संलग्न

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

3. वर्तमान धारित पद

यशपाल सिंह

4. वर्तमान वेतनमान

9300-34800-4800

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु0 में)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	रहेन कैलिह रुम आवाले लगातार 217 श्री 2-	पैट्रु आवाले	पैट्रु आवाले	पैट्रु आवाले	—	9.07 लाख	शून्य	—

स्थान:- देहरादून

दिनांक:- 11/3/16

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

यदि सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के भन्ना सम्पत्ति के नाम से अर्जित सम्पत्ति की जाय।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

11/3/16

यशपाल सिंह

कार्यवाहक सहायक अभियन्ता

उत्तराखण्ड विपणन विभाग

राज्याधीन सेवाओं के कार्गियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति व अनुसार)

अधिकासी का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति व अनुसार) 2. स्वयं 3. वर्तमान वेतनमान 15600 - 39100/-

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अनुक्ति
1. पिथौरागढ़/गंगोत्री/डिफेंस/कांस्टेबल	कैलाशपुर 0.52 हे०	पैगुल	पैगुल	—	—	2.50 लाख	—	0.010 लाख टा. वि. 20/1/20
2. देहरादून	कैलाशपुर 0.0169 हे०	राजिन्दर कुमार गन्धू टमरा	एगप्ले स्व. पत्नी की कपड़े ड्राइंग	17/12/07	4.00 लाख	10.00 लाख	—	एगप्ले स्व. पत्नी अचल सम्पत्ति
3. देहरादून/कांस्टेबल	130.06 हे०	राजिन्दर कुमार गन्धू टमरा	S.B.I. के एगप्ले स्व. पत्नी की कपड़े ड्राइंग 17/05/07 को अर्जित किया गया 20/05 को	23/05/12	2.1.45 लाख	45.00 लाख	—	S.B.I. के एगप्ले स्व. पत्नी अचल सम्पत्ति 20/07/05 को अर्जित किया गया 20/07/05 को

स्थान:- Chaudhesh
दिनांक:-
हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम राजिन्दर कुमार
पदनाम
विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्गियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- यदि सरकारी सेवक ने द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार ने अचल सम्पत्ति के नाम से अर्जित सम्पत्ति अंकित करने की जाय।

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. संवर्ग 5

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद

संजय कुमार पाण्डेय

अधीनस्थ

4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100-Gr 6600

1. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य विवरण
रूपपुर	12.85 ईका	संजय कुमार पाण्डेय	By Loan	वर्ष 2011	14,50,000/-	20,000/- 00.00	75,000/-	

स्थान:- P.W.D. Thaval

दिनांक:- 30/12/2016

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम S. S. Pandey
पदनाम Executive Engineer
विभाग C.D. P.W.D. Thaval

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

अधिकांरी का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2016) के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार
 2. संवर्ग
 4. वर्तमान वेतनमान

1. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य विवरण
1			4	5	6	7	8	9

स्थान:-
 दिनांक:-
 हस्ताक्षर
 अधिकारी का नाम
 पदनाम
 विभाग

टिप्पणी:
 1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संबंधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
 4. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के अलावा अन्य भवन का निर्माण भी भूमि के अधिकारियों के द्वारा अंकित किया जाय तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

प्र. सहायक अधिकारी

सम्पत्ति के स्वामी का नाम
(यदि स्वयं के नाम न हो तो
जिसके नाम सम्पत्ति हो,
उसका नाम और उसी
सरकारी सेवक का सम्बन्ध)

सम्पत्ति (आवास,
भूमि एवं अन्य
सम्पत्ति) का पूर्ण
विवरण (क्षेत्रफल
सहित)

जिला: जोड़ी
हस्ताक्षर: कोटद्वार
आवास: कोटद्वार
आवास: कोटद्वार
आवास: कोटद्वार

जिला: देहरादून
हस्ताक्षर: विमलसुन्दर
आवास: कोटद्वार
आवास: कोटद्वार
आवास: कोटद्वार

स्थान: पावनी
दिनांक: 18-6-2016

दिनांक

सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बधक/उत्तराधिकार / उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जित लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)
1. श्री. मेहर सिंह पुत्र श्री. भगत सिंह निवासी: आ० इंडीचौड़ कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	20-12-2000	90,000/-	2,00,000/-	8
श्री. रामप्रसाद पुत्र श्री. जोषाराम (स्वर्गीय) श्री. रामप्रसाद जीवरी, किसान देहरादून	6-11-2012	3,14,000/-	5,00,000/-	9

हस्ताक्षर: 
अधिकारी का नाम: नवीन ध्यानी
पदनाम: प्र. सहायक अधिकारी
विभाग: नि. रं. लो. नि. वि. पावनी

प्र. सहायक अधिकारी का नाम: नवीन ध्यानी
पदनाम: प्र. सहायक अधिकारी
विभाग: नि. रं. लो. नि. वि. पावनी

हस्ताक्षर: 
अधिकारी का नाम: नवीन ध्यानी
पदनाम: प्र. सहायक अधिकारी
विभाग: नि. रं. लो. नि. वि. पावनी

राज्याधान सेवाआ क कामका क द्वारा अचल सम्पत्त का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सि. ए. रावत 2. सर्वग

3. वर्तमान पारित पद

4. वर्तमान वेतनमान 7700

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	2	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	3	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	4	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	5	अर्जन लागत (रु० में)	6	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	7	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	8	अभ्युक्ति
मोना, जिला, तहसील, पिन कोड 221014	भूमि 167.28 कमी ²	अनाल	निशा रावत (पत्नी)	क्रय			27.04.2009		रु० 525454/00		रु० 800000/00				9
दिल्ली			निशा रावत (पत्नी)	क्रय			24.10.2011		रु० 460000/00		रु० 1000000/00				

स्थान:- पाना

दिनांक:- 02/08/2016

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम सि. ए. रावत
पदनाम सहायक सचिव
विभाग पब्लिक निर्माण विभाग

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति अनुसार)

(1). अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा : अनिरुद्ध सिंह भण्डारी (सेवाकाल- 33 वर्ष) सर्ग : अमियात्रिकी
(3). वर्तमान धारित पद : अधिशासी अभियन्ता (4). वर्तमान वेतनमान : 15600-39100 ग्रेड पे-7600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम स्थापित हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रुद्रप्रयाग/ वसुकेदार ग्राम-वीरौ देवल	कृषि भूमि 0.639 हैक्टेयर आवासीय भवन 45 वर्ग मी०	स्वयं	उत्तराधिकार	पैतृक	पैतृक	500000.00	--	अधोहस्ताक्षरी पैतृक सम्पत्ति के आधे हिस्से का हिस्सेदार है।
देहरादून/वार्ड नं० 35	आवासीय प्लाट 0.028 है०	श्रीमती सुधा भण्डारी (पत्नी)	क्रय/श्री गजेन्द्र सिंह/श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री रावत बदाम सिंह, ग्राम निरंजनपुर, देहरादून	फरवरी/1990	35,400.00	10,00,000.00	--	पूर्व में भी घोषणा प्रपत्रों में सूचित है। कोपरेटिव सोसायटी/ विभागीय ऋण/स्वयं एवं पत्नी की बचत से अर्जित। पत्नी भी 24 वर्ष तक नौकरी पर रही है, अबदूर, 2013 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्त।
देहरादून/ग्राम बालावाला	आवासीय भवन 270.41 वर्ग मी० (दुमजिला)	श्रीमती सुधा भण्डारी (पत्नी)	स्वनिर्मित	अप्रैल/2000 से मार्च/2004	9,00,000.00	10,00,000.00	--	
देहरादून/ग्राम डोईवाला/ग्राम मो० बड़कली	आवासीय प्लाट 0.084 है० कृषि भूमि 0.364 हैक्टेयर	श्रीमती सुधा भण्डारी (पत्नी)	क्रय/श्री विरेन्द्र दत्त पुत्र श्री बाबू लाल, ग्राम-बालावाला, देहरादून	जुलाई/2010	11,80,000.00	20,00,000.00	--	
		श्रीमती सुधा भण्डारी (पत्नी)	क्रय/श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री तुल बहादुर, ग्राम-मोहम्मदपुर बड़कली, देहरादून	नवम्बर/2011	12,10,000.00	24,00,000.00	--	

स्थान : थरूड, जनपद टिहरी गढ़वाल।

दिनांक : 13.06.2016

हस्ताक्षर : अनिरुद्ध सिंह भण्डारी

अधिकारी का नाम : अधिशासी अभियन्ता

पदनाम : लोक निर्माण विभाग

विभाग : लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी :

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संशोधित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्यक प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाये।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपाय/त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाये और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाये।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाये और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुये तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाये।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाये।

Mukesh/1/General Performa (2014-15)

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा सहायक अतिरिक्त डी.आर.ओ. (सी.बी.एल.)
2. वर्तमान धारित पद सहायक अतिरिक्त डी.आर.ओ. (सी.बी.एल.)
3. वर्तमान धारित पद सहायक अतिरिक्त डी.आर.ओ. (सी.बी.एल.)
4. वर्तमान वेतनमान 17600 - 39100 + 6600 GR

तकनीकी

1. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अम्युक्ति
अल्मोड़ा, तहसील, इलाहाबाद	कृषि भूमि	स्वयं	पैतृक उत्तराधिकार	पैतृक	—	11,00,000	—	—
अल्मोड़ा, तहसील, इलाहाबाद	भूमि 0.0371 हे०	पत्नी	स्वयं	2004	170000	7,00,000	—	—
अल्मोड़ा, तहसील, इलाहाबाद	भूमि 0.0259 हे०	स्वयं	स्वयं	2008	3,00,000	7,00,000	—	—
अल्मोड़ा, तहसील, इलाहाबाद	आवासीय भवन	स्वयं	पैतृक उत्तराधिकार	पैतृक	—	16,00,000	—	—
अल्मोड़ा, तहसील, इलाहाबाद	आवासीय भवन	स्वयं	क्रय	मार्च 2016	40,00,000	40,00,000	—	—

SOL, Khodim
de Home loan
विशेष-अवकाश

स्थान:- अल्मोड़ा

दिनांक:- 08/16/2018

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम अतिरिक्त डी.आर.ओ.

पदनाम

सहायक अतिरिक्त डी.आर.ओ. (सी.बी.एल.)

विभाग

लोक निर्माण विभाग

अतिरिक्त डी.आर.ओ.

20

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण
(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का नाम एवं सेवा- गिरीश चन्द्र पाण्डे, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा 2. संवर्ग-तकनीकी
3. वर्तमान धारित पद- प्रभारी सहायक अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान -रू0 15600-39100 ग्रेडवेतन 6600 / -

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/ वर्ष	अर्जन लागत (रू0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रू0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रू0 में)	अभ्युक्ति
1-रानीधारा नगरपालिका क्षेत्र अल्मोड़ा	भूमि-1 नाली 4 मुठ्ठी एवं उस पर बना भवन लगभग 1500 वर्ग फीट पैतृक भूमि व भवन	स्वयं की भूमि व आवासीय भवन	भूमि कय की गयी एवं उस पर भवन का निर्माण बैंक से लोन ले कर किया गया।	भूमि दिनांक 17.01.2003 को कय की गयी एवं वर्ष 2003-04 में भवन निर्माण किया गया।	भूमि लगभग 1.50 लाख एवं भवन लगभग 4.50 लाख	भूमि लगभग 5.00 लाख व भवन लगभग रू0 12.00 लाख	शून्य	स्वयं के परिवार के उपयोग हेतु आवासीय भवन
2-ग्राम-पल्लू जिला व तहसील अल्मोड़ा		पैतृक सम्पत्ति	पैतृक सम्पत्ति	पैतृक	-	-	शून्य	पैतृक सम्पत्ति भूमि एवं भवन संयुक्त रूप से

स्थान:- अल्मोड़ा

दिनांक:- 17.12.2016

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम :- गिरीश चन्द्र पाण्डे
पदनाम :- प्रभारी सहायक अभियन्ता

विभाग :- कार्यालय मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा

टिप्पणी :-

- श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलैण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य / कमी हुई तो तदनुसार आधिक्य / कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य / कमी की स्थिति न हो तो पूर्व सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट / अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2018 के लिये दिनांक 01 जनवरी 2018 की स्थिति के अनुसार)

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- श्री दिनेश प्रसाद आर्य
- संवर्ग- ख
- वर्तमान धारित पद- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
- वर्तमान वेतनमान- 15600-39100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधि कार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला- पिथौरागढ़ तहसील- पिथौरागढ़ ग्राम-पण्डा	भूमि 0.12 है० आवासीय भवन 200 वर्ग मी०	दिनेश प्रसाद आर्य	भूमि क्रय की गई है श्री लक्ष्मण राम आर्या, श्री पूरन राम आर्या, श्री खुशाल राम (पिथौरागढ़)	भूमि / वर्ष 2002 भवन / वर्ष 2006	2.47 लाख 8.00 लाख	15.00 लाख 20.00 लाख	0.50	आवासीय भवन एल०आई०सी० से ऋण लेकर निर्मित किया गया है।
जिला- देहरादून इंजीनियर्स इनकलेव फेज-2 मौजा कनवाली परगना सेन्द्रल दून।	फ्लैट 3 B.H.K Apartment on the Third Floor Super Area 120.77 Sqm.	श्रीमती लक्ष्मी आर्या, पत्नी	क्रय श्री असद फारूकी पुत्र श्री मौहम्मद अबुल फजल फारूकी, डी-11, अबुल फजल इनक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली	14.07.2015	34.25 लाख	34.24 लाख	-	उक्त आवासीय फ्लैट ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स से ऋण लेकर खरीदा गया है।

स्थान- पिथौरागढ़
दिनांक- 20-12-2016

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम- दिनेश प्रसाद आर्य
पदनाम- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
विभाग- निर्माण खण्ड, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
वर्तमान धारित पद
1. सचिव-3 प्र.मि
2. संर्वा 08
3. मु.2024 आमिपत
4. वर्तमान वेतनमान 37400 - 67000 ग्रेड वेतन रु.8900=00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
4170-07 89m	4170-07 89m	श्री राजीव कुमार	श्री राजीव कुमार 5/0 श्री एस राज कुमार 1/1 56825/1, जिकिन्द नगर जलघर	2.8.97	1.7/97			प्रीतिका सुखेश्वर तप्यत
उपरोक्त स्थिति पर भवन	उपरोक्त स्थिति पर भवन	तपव		2008	25/06		0.15 548 भार	प्रीतिका सुखेश्वर तप्यत रुक्मिणी पटना

स्थान : पिया २१७१६

दिनांक : 14.1.16

2014.11.11

हस्ताक्षर

अधिकांश का नाम (इस सलूद इम)

पद नाम	सूक्ष्म अभिरन्त
--------	-----------------

विभाग
लो० दि० वि० पौरोगढ

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2. संवर्ग 3. वर्तमान वेतनमान 15600-39100 G-05480
 वर्तमान धारित पद प्रभारी सहायक अभियन्ता

1. ज.ा. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्युक्ति
जिना-नैनीताल तहसील-हल्द्वानी गांव-नाथूपुर पाडली	2 आवास हेतु भूमि क्षेत्रफल-260वर्गमीटर	स्वयं विश्वब्रह्मोदन गिरि	क्रय	वर्ष 2010	रु 2.60लाख	रु 4.80लाख	शून्य	—

स्थान:- अल्मोडा

दिनांक:- 08-12-2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम विश्वब्रह्मोदन गिरि

पदनाम प्रभारी सहायक अभियन्ता

विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. सर्वग 156.00 - 39.100 - 5400
4. वर्तमान वेतनमान

विभाग/तहसील और गांव या शहर जिसका सम्पत्ति विवरण (क्षेत्रफल सहित) है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
		स्वयं	अर्जित- क्रय	10/2011	₹ 13.00 लाख	—	—	—

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग
महेश कुमार
अध्यक्ष अभिमान
श.प्र.खण्ड का. नि. वि. छत्ता

टिप्पणी:

- अपी के 1. ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 अक्टूबर तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी 01 वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निमित्त आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 8 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 8 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(गम) 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. सर्वग

4. वर्तमान वेतनमान

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

3. वर्तमान धारित पद

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं को नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम-मुखानी, तहसील-डवडी, जिला-मैनीपुर	1. आवास 223 Sqm. 2. भूमि 1277 Sqm.	श्रीमती शीमा मैनीपुरी (पारसी)	बुन	1994	4.00 लाख	—	—
		श्रीमती चण्ड मैनीपुरी	बुन	2005	3.00 लाख	—	—

स्थान:- डवडी

दिनांक:- 26/1/2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपर जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

71

राज्याधीन सेवाओं के कामियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(ग) 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. संवर्ग स्व. तहसील

3. वर्तमान धारित पद प. स. उ. अ. प्र. प. त.

4. वर्तमान वेतनमान 15,650-39,100-66,000

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी रीसक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)
1. उल्हाडा (खोखरवाली) तहसील	15-नाली	स्वयं	कृप	1986	15,650-20	6,000-100	
2. उल्हाडा (खोखरवाली) तहसील	15-नाली	स्वयं	पृथक	-	-	10,000-100	
3. उल्हाडा (खोखरवाली) तहसील	557-52-8	स्वयं	कृप	2008	-	30,000-100	

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण आगे 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कामियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपर जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामियों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष २०१६ के लिए दिनांक ०१ जनवरी २०१६ की स्थिति के अनुसार)

सर्वर स्व सकनीकी

वर्तमान वेतनमान

वर्तमान वेतनमान

वर्तमान वेतनमान

वर्तमान वेतनमान

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	2. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	3. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	4. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	5. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	6. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	7. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	8. अधिकारी का नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)
1. ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	6/2001	7100000	17380000	2000000
2. ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	ग्राम कराल, तहसील, जिला-अलीगढ़	5/2002	3600000	8690000	5000000

स्थान:- अलीगढ़

दिनांक:- 27-2-16

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कामियों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं ही तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(2016-17 के लिए दिनोंक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- श्री लीलाधर मथेला
3. तत्मान धारित पद- अधिशासी अभियन्ता

2. सर्वग- 'क'

4. वर्तमान वेतनमान- 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹600.00

जिला, तहसील और गांव का तहसील जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवनों का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित))	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिनके नाम सम्पत्ति में, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकारों तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी)	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम खुंदा तहसील इल्हानी जिला नैनीताल	0.153 हे०	स्वयं	स्वयं द्वारा अर्जित	1998	-	9.16 लाख 15.30	-	-
ग्राम बरुन्तपुर तहसील इल्हानी जिला नैनीताल	0.0186 हे०	स्वयं	स्वयं द्वारा अर्जित	09/2015	-	2.58 लाख	-	-
ग्राम बलवाडी तहसील पाटी जिला चम्पावत।	पैतृक	पैतृक सम्पत्ति	उत्तराधिकार	-	-	ज्ञात नहीं	-	-

स्थान - लोहाघाट
दिनांक - 03-08-2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- लीलाधर मथेला
पदनाम - अधिशासी अभियन्ता
विभाग- राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोहाघाट, लोहाघाट।

राज्याधीन शालाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

विषय के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार

2. सर्वग

4. वर्तमान वेतनमान

15600-39000

पुर्वीय

वर्ष 2016

सहायक अभियन्ता

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

वर्तमान धारित पद

1. अधिकारी का नाम	2. सम्पत्ति (आवासीय, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उसकी सरकारी सेवा का संज्ञा)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय(रु० में)	9. अन्य
श्री. इन्दिरा गुरुवानी	980.00 sq ft	श्री. इन्दिरा गुरुवानी	उत्तराधिकार	2008	—	50000.00	—	—

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

प्रवीण गुरुवानी

सहायक अभियन्ता

लो-नि. वि.

पत्नी:

अंग्रेजी का ख ख के अक्षरानुसार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सत्यापित/निर्णयक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

यदि सम्पत्ति, निम्नित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय का उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 6 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्ष नरेश चन्द्र पंडेय
2. वर्तमान धारित पद 20
3. वर्तमान वेतनमान 15557 - 39100 ग्रेडनेशन 6600/1
4. वर्तमान वेतनमान 15557 - 39100 ग्रेडनेशन 6600/1

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	आयुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - जीजाजी सिन्धी तहसील हजयानी जिला - मेरठ	0.006 हे०	स्वयं के नाम	ग्राम करना।	19-9-93	136000=००	210000	अन्य	
ग्राम - देवपुर देवता तहसील हजयानी जिला - मेरठ	0.046 हे०	पुष्पा पण्डे (पत्नी)	ग्राम करना।	26-12-2006	233,000=००	210000	अन्य	
ग्राम - सिनपुर तहसील हजयानी जिला - मेरठ	0.018 हे०	स्वयं के नाम	ग्राम करना।	27-9-2014	443,000=००	210000	अन्य	

हस्ताक्षर अधिकारी का नाम नरेश चन्द्र पंडेय पदनाम सहायक अभियंता (अभरि.) विभाग जिला नि. 3 दि. 0 32/10/2015

स्थान:- दिनांक:- 7-7-2015

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा का नाम (वर्ष के अनुसार)
 2. वर्तमान धारित पद
 3. वर्तमान धारित पद
 4. वर्तमान वेतनमान 15600-37100 ग्रैड वेतन (600/-)

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य विवरण
1- ग्राम कपकोड, तहसील जिला-अलीगढ़	भूमि / आवास 100 रु० रु० रु०	स्वयं	उत्तराधिकार	2013	3.00 लाख	3.00 लाख	N/A	अनुमानित मूल्य 3.00 लाख
2- ग्राम जिला-अलीगढ़	भूमि 0.17 रु०	स्वयं	उत्तराधिकार	1973	0.02 लाख	2.00 लाख	N/A	अनुमानित मूल्य 2.00 लाख
3- ग्राम जिला-अलीगढ़	भूमि 0.073 रु०	स्वयं	उत्तराधिकार	2015	0.05 लाख	0.05 लाख	N/A	अनुमानित मूल्य 0.05 लाख
4- तहसील जिला-अलीगढ़	आवास/भूखण्ड 0.067 रु०	पत्नी सुखी कपकोड	उत्तराधिकार	2002	1.95 लाख	2.00 लाख	N/A	अनुमानित मूल्य 2.00 लाख

स्थान:-
 दिनांक:- 17-6-16

हस्ताक्षर
 अधिकारी का नाम
 पदनाम
 विभाग
 जिला-अलीगढ़

टिप्पणी:

- श्रेणी के एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मिकों के द्वारा प्रस्तुत वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति के अन्तर्गत अवल सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिकारी/कर्मि की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति के अन्तर्गत अवल सम्पत्ति अंकित करके प्रस्तुत करे।
- यदि सम्पत्ति निम्न आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के अन्तर्गत कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय। यदि भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण के अन्तर्गत अवल सम्पत्ति अंकित करके प्रस्तुत करे।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा प्रस्तुत किये गए अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- यदि अधिकारी/कर्मि पूर्व में तदनुसार अवल सम्पत्ति/कर्मि के उपरान्त 05 वर्षों के लिए अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि भूखण्ड कय की गई हो तो भवन का निर्माण स्वयं किये गए।
- यदि भूखण्ड-पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में अंकित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. संवर्ग राज्यीय सेवा

4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100-176000

3. कुछा सिंह मेहता

सहायक अभियन्ता

सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य नपन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण किनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
2. <u>भूमि अवालोय</u> <u>एवाले 2400 Sqf</u> <u>मकान सहित</u>	3. <u>स्वयं</u>	4. <u>क्रम</u>	5. <u>1994-1997</u>	6. <u>10000</u>	7. <u>5000</u>	8. <u>0.40</u>	9. <u>स्व. पिलाजि के निधन के बाद उत्तराधिकार में आया</u>
3. <u>कुवे-श्री</u> <u>+ अवाले</u> <u>भूमि - 0.29 हेक्</u> <u>वा 14 साली 3</u> <u>उब्ज</u>	3. <u>पुष्पक</u>	4. <u>उत्तराधिकार</u> <u>(पुष्पक अर्जन)</u>	5. <u>2016</u>	6. <u>-</u>	7. <u>15000</u>	8. <u>-</u>	9. <u>स्व. पिलाजि के निधन के बाद उत्तराधिकार में आया</u>

अभियन्ता कुछा सिंह मेहता

दिनांक 09-11-2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम कुछा सिंह मेहता

पदनाम सहायक अभियन्ता

विभाग राज्यीय सेवा एवं भवन

टिप्पणी

1. अभियन्ता एवं अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संचालित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2. अभियन्ता एवं अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3. अभियन्ता एवं अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक्-पृथक अंकित किया जाय।

4. अभियन्ता एवं अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकांश का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2. संवर्ग 4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और भवन का आइड नंबर	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	आयुर्वि
जिला जालंधर	अविष्कृत निधि - 1800 Sqft	अविष्कृत निधि - 1800 Sqft	2011-2012	रु० 22.00	रु० 22.00	रु० 0.00	अविष्कृत निधि
जिला जालंधर	अविष्कृत निधि - 1500 Sqft	अविष्कृत निधि - 1500 Sqft	2011-2012	रु० 17.00	रु० 17.00	रु० 0.00	अविष्कृत निधि
जिला जालंधर	अविष्कृत निधि - 0.985	अविष्कृत निधि - 0.985	2011-2012	रु० 17.00	रु० 17.00	रु० 0.00	अविष्कृत निधि

हस्ताक्षर अधिकारी का नाम पदनाम विभाग

1. वर्षों के काल के अतिरिक्तों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार प्रगत सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 दिसम्बर तक आयोजित प्रेषित/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वार्षिक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्माण आगामी वर्ष प्रलेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को प्रथक-प्रथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत का भी प्रथक-प्रथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

...

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा मनोज कुमार बिष्ट (पु.सि. 15 1/2 वर्ष)
2. सर्व संजय
3. वर्तमान धारित पद सहायक अभिलेखी (अ.सि.)
4. वर्तमान वेतनमान 15600-37700 ग्रेड वेल्थ 5400-00

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य विवरण
1. ग्राम लोहरियाखुली तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल	ग्राम 371.75 म ²	श्रीमती बिष्ट (पत्नी)	विशेष कर	7/1/09	471000.00	12.00 लाख	—	पिता अथवा कुलीन उत्तराधिकारी
2. ग्राम हरिपुरनाथ तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल	ग्राम 292.44 म ²	श्री मनोज बिष्ट (स्वयं)	विशेष कर	5/3/12	395000.00	7.00 लाख	—	—
3. ग्राम लोहरियाखुली तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल	ग्राम 185.87 म ²	श्रीमती बिष्ट (पत्नी)	विशेष कर	15/1/14	—	6.50 लाख	—	—
4. ग्राम खोलीपहा तहसील काशी जिला काशी	ग्राम 167.28 म ²	स्वयं	श्री राजीव अग्रवाल	30/9/14	415000.00	5.30 लाख	—	—

स्थान:- गरीब

दिनांक:- 08/01/16

हस्ताक्षर मनोज कुमार

अधिकारी का नाम मनोज कुमार

पदनाम सहायक अभिलेखी (अ.सि.)

विभाग पु.सि. 15 1/2 वर्ष

टिप्पणी

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निपुणता/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 3 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण -पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01-जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा राजिंदर कुमार 2 संवर्ग प्रभारी अधिशासी अधिकारी
3. वर्तमान धारित पद प्रभारी अधिशासी अधिकारी 4 वर्तमान वेतनमान 15600-39100

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कुप्य/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ग	अर्जन लागत ₹0 में	वर्तमान अनुमानित मूल्य वार्षिक आय ₹0 में।	सम्पत्ति से आय ₹0 में।	अभ्युक्ति
1- EXTN देहरादून ब्राह्मरी क्षेत्र	112 गज	स्वयं एवं पत्नी के नाम	क्रम बन्धक	01-06-2011	14 लाख	95 लाख	—	अनातिथ भवन
				6	7	8	9	10

स्थान देहरादून
दिनांक 22-05-2016

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम राजिंदर कुमार
पद नाम प्रभारी अधिशासी अधिकारी
विभाग ग्राम विकास, जे.एन. वि. वि., चलाता

टिप्पणी :-

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में खय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल खय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड खय कर उस पर नदन का निर्माण स्वरूप किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी राशियों, कं द्वारा रकम तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अंकित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा चन्द मोहन पाण्डेय 2. सर्वग सावित्रि
 3. वर्तमान धारित पद अधीक्षक अभियन्ता (फ) 4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 7600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1. मोजा कोवली परगना सिन्धुद्वार जिला, तहसील विहार देहरादून	781.20 वर्ग मी. आवास सहित	स्वयं	श्रीमती ललिता वायवा 9-8 हरिया माया रुन्धेय नई दिल्ली	11/99	3.00 लाख	80.00 लाख	0.50 लाख	भवन निर्माण हेतु 80.00 लाख उत्तराधिकार प्राप्त है। सिन्धुद्वार गांव देहरादून में आने के कारण भवन निर्माण 16.75 लाख में बांटा जा रहा है।
2. मोजा कोवली परगना सिन्धुद्वार जिला, तहसील विहार देहरादून	0.358 वर्ग मी. आवास सहित	स्वामी सुनीता पांडेय पत्नी	श्री विजयलाल मोरियाल एवं अन्य (बिन्हाली से) उत्तराधारी	12/2005	2.55 लाख	40.00 लाख	-	भवन निर्माण हेतु 40.00 लाख बांटा जा रहा है।
3. मोजा कोवली परगना सिन्धुद्वार जिला, तहसील विहार देहरादून	0.293 वर्ग मी. आवास सहित	स्वयं	श्री विजय चन्द यशपाल मोहनपुर देहरादून	4/2007	3.76 लाख	20.00 लाख	0.10 लाख	भवन निर्माण हेतु 20.00 लाख बांटा जा रहा है।
4. मोजा कोवली परगना सिन्धुद्वार जिला, तहसील विहार देहरादून	0.0459 वर्ग मी. आवास सहित	श्रीमती सुनीता पाण्डेय पत्नी	डा. महेन्द्र कुमार रुद्र अन्य देहरादून	6/2013	14.50 लाख	20.00 लाख	-	भवन निर्माण हेतु 20.00 लाख बांटा जा रहा है।

देहरादून

स्थान

दिनांक 10/7/2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

चन्द मोहन पाण्डेय

पद नाम

अधीक्षक अभियन्ता (फ)

विभाग

जिला सिविल विभाग

टिप्पणी

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी का उपाय 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुखण्ड कय कर-उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा लक्ष पर अधिकार प्रमाणित करने के लिए -

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- इ० चतुर लाल
2. संवर्ग- क
3. वर्तमान धारित पद- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
4. वर्तमान वेतनमान- 15600-39100-7600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्व विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी	2000 वर्ग फुट	इ० चतुर लाल	लीज पर स्वयं के नाम	2010-2011	15,00,000.00	20,00,000.00	शून्य	-

स्थान:- बागेश्वर

दिनांक :- 30 नवम्बर, 2016

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम- इ० चतुर लाल

पद का नाम- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
विभाग-नि०ख०, (ए.डी.डी.), लो.नि.वि. बागेश्वर, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्/कमी हुई हो तो तदनसार अधिक्/ कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

2

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतनमान
4. वर्तमान वेतनमान 37400 - 62000 - 8100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
वार्डपुर	290.13 M ²	श्रीमती विमला देवी (माता जी)	श्री रवजी ट वॉश (पिला)	1990	50000/-	65,00000/-	NIL	-
वीरगंगा (दिल्ली)	200.00 M ²	लालि त मोहन	25/लॉन	2014	48,00000/-	48,00000/-	NIL	-

स्थान:- ३-६०
दिनांक:- ५-12-16

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले क्लेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उत्तरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा लेफ्टिनेंट कमांडर पत्र
2. वर्तमान धारित पद अतिरिक्त आधिकारी
3. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है अतिरिक्त आधिकारी
4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100 G.P. 3600

संवर्धन तंकनीकी

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	
रायचौत ग्राम-पुनरी चम्पारन	0.046 एकर	वर्ष 1993 श्री प्रती ईश्वरदास पत्र	क्रय	वर्ष 2003	1.10 लाख	5.60 लाख	-	वर्ष 2014 0.046 एकर का तो प्रती श्री प्रती ईश्वरदास पत्र कि 0.094 एकर कि 0.094 एकर
मैसूर हनुमान ग्राम कुलानी	0.11 एकर	श्री प्रती ईश्वरदास पत्र	क्रय	वर्ष 1998	1.55 लाख	6.50 लाख	-	
मैसूर गण्डगाड हनुमान	0.11 एकर	श्री प्रती ईश्वरदास पत्र	क्रय	वर्ष 2010	7.50 लाख	7.50 लाख	-	
गुड सांभल पिथौरागढ़	1 ई.	लेफ्टिनेंट कमांडर पत्र	स्वयं द्वारा निर्मित	वर्ष 2008	9.00 लाख	9.00 लाख	-	
ग्राम कुलानी हनुमान	1 ई.	लेफ्टिनेंट कमांडर पत्र	—	वर्ष 2012	10.00 लाख	10.00 लाख	-	

स्थान:- इ इस्टीमेट

दिनांक:- 27-1-2016

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम लेफ्टिनेंट कमांडर प्रती
पदनाम अतिरिक्त आधिकारी
विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कामों का द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण—पत्र

(क)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

3. वर्तमान धारित पद

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)
---	--

सम्पत्ति के स्वामी का	सम्पत्ति
-----------------------	----------

सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)

सम्पत्ति अर्जित करने का
माध्यम
क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/रुपहार/अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी

सम्पत्ति
अर्जित
करने की
तिथि / वर्ष

अर्जन
लागत
(रु० में)

वर्तमान
अनुमानित
मूल्य (रु०
में)

सम्पत्ति से
वार्षिक
आय(रु० में
)

अभ्युक्ति

स्थान:- खरीमा (उद्यमसिंह-गार)

दिनांक:- 01/01/2016

સાક્ષી

अधिकारी का नाम

Ellipses

विभाग

15th Oct 2013

विभाग

विभाग

विभाग

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा की स्थिति अनुसार) **तकनीकी सेक्टर**
 2. संवर्ग
 3. वर्तमान धारित पद
 4. वर्तमान वेतनमान **39100 ग्रेड वेतन 6600/-**

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, मृत्ति एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (लेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो, तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/रोपक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (र में)	तत्काल अनुमानित मूल्य (र में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (र में)	अभ्युक्ति
1- बमोरी तहसील तहसील हल्द्वानी जिला-नैनीताल	2000 वर्ग फिट का आवासीय भूखण्ड स्व उससे आवासीय भवन	श्रीमती कुपा अधिकारी पत्नी	क्रम श्रीमती शकुन्तला देवी	वर्ष 1999	450000/-	3500 लाख	20000/-	
2- उधम सिंह नगर खिवारगंज धूमखड़ा	कुछ भूमि 0.606 हे	बीरबहा अधिकारी	क्रम श्रीमती सरजिता देवी	वर्ष 2012	494910/-	10-00 लाख	20000/-	

स्थान : **खरीसा**
 दिनांक : **19-8-2016**

हस्ताक्षर : **बी.एस. अधिकारी**
 अधिकारी का नाम
 पद नाम : **उप सहायक डी.एम.ए.**
 विभाग : **लोक निर्माण विभाग इतराबट**

टिप्पणी :
 1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मियों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आपत्सीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तंभ 8 में मूल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तंभ 2 में भवन एवं मुखण्ड को पृथक्-पृथक् अंकित करते हुए तदनुसार स्तंभ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक्-पृथक् अंकित किया जाय।
 4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति शामिल की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015 के दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा : उमेश चन्द्र बहुगुणा, सेवा- 33+ वर्ष
2. संवर्ग : तकनीकी
3. वर्तमान धारित पद : अधिशासी अभियन्ता (प्रमारी)
4. वर्तमान वेतनमान : 15600-39100 + 7600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम एवं सरकारी सेवक से सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नैनीताल, हल्द्वानी, बमौरी तल्ली	भूमि 392.65 वर्ग मीटर	स्वयं	कय, श्री तारा सिंह सिजवाली पुत्र श्री तुला राम सिंह सिजवाली, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी	2001	रु० 2.32 लाख मात्र	रु० 9.00 लाख मात्र	-	जी०पी०एफ० एडवान्स एवं वेतन बचत आहरण द्वारा अर्जित।
नैनीताल, हल्द्वानी, बमौरी तल्ली	भूमि 217.47 वर्ग मीटर	स्वयं	कय, श्री गौरव प्रताप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, तल्ली बमौरी, हल्द्वानी	2005	रु० 1.75 लाख मात्र	रु० 5.00 लाख मात्र	-	जी०पी०एफ० एडवान्स एवं वेतन बचत आहरण द्वारा अर्जित।

स्थान : काशीपुर

स्थान : 31-1-2016

हस्ताक्षर :

अधिकारी का नाम : उमेश चन्द्र बहुगुणा

पदनाम : अधिशासी अभियन्ता (प्रमारी)

विभाग : निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, काशीपुर

टिप्पणी :

1. श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संबंधित नियुक्ति/नियंत्रक अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये किन्तु अन्य श्रेणी के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरांत प्रस्तुत की जाए।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्य/कमी के उपरांत 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
3. यदि सम्पत्ति/निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गयी हो तो स्तम्भ 06 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन/भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाए।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम:- बी०सी० पन्त, 2. संवर्ग:- तकनीकी
3. वर्तमान धारित पद:- अधिशासी अभियन्ता 4. वर्तमान वेतनमान:- 15600-39100, ग्रेड पे 6600.00

क्र०सं०	जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम(कय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/ अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अल्मोड़ा अल्मोड़ा ग्राम-टाटिक	2.50 एकड़ लगभग	पैतृक भूमि	पैतृक/उत्तराधिकार	पैतृक सम्पत्ति	-	20.00 लाख	-	भाईयों की संयुक्त कृषि भूमि
2	नैनीताल हल्द्वानी उदय लालपुर	252.00 वर्ग मी०	श्रीमती अजंजा पन्त पत्नी	अर्जित श्री साकेत अग्रवाल से भूमि कय	04/2012	4.00	4.00	-	पत्नी के नाम वेतन के बचत से कय
3	करायल जौलालासाल हल्द्वानी (नैनीताल)	आवासीय भवन No-1A	(स्वयं) बी०सी० पन्त	अर्जित श्री वेद प्रकाश अग्रवाल से भूमि कय	2005 में भूमि कय 2007 में भवन निर्माण	14.00	20.0 लाख	-	S.B.I से Loan लेकर निर्माण

स्थान:- Rudrapur

दिनांक:- 29-8-2016

हस्ताक्षर.....

अधिकारी का नाम:- बी०सी० पन्त

पद नाम:- अधिशासी अभियन्ता (सिविल)

विभाग:-लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड

राज्याधीन सेवाओं के क्रामिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015-16 के लिये दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति अनुसार)

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - सुरेन्द्र पाल सिंह नेगी
- सर्वर्ग - समूह "ग"
- वर्तमान धारित पद - प्रभारी सहायक अभियन्ता
- वर्तमान वेतनमान - 13300-4800-34800 (9300-34800)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे सम्पत्ति अर्जित की है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि एवं वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
साकेत विहार कालोनी तहसील काशीपुर जिला उधमसिंह नगर	भूमि 331.38 वर्ग मी0	स्वयं के नाम	क्रय श्रीमती मधु सिंह w/o श्री हरीश कुमार सिंह काशीपुर उधमसिंह नगर	17.03.2012	3.97 लाख	4.00लाख	-	-

स्थान : रुद्रपुर

दिनांक : 20 सितम्बर 2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - सुरेन्द्र पाल सिंह नेगी

पद नाम - सहायक अभियन्ता

विभाग - प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर

टिप्पणी :-

- श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के क्रामिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय
- प्रत्येक वर्ष / प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/ अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कम कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का कुल मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेक्टरों के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 15-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. सर्वोच्च अधिकारी का नाम एवं सेवा

Ramesh Singh Mehta

3. वर्तमान धारित पद

Asst. Engineer Civil

4. वर्तमान वेतनमान

15600-37100-54600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्य
1. पंचनाल इन्डस्ट्रियल स्टेशन	4000.00 वर्ग फीट	टंचय	कुप	2005	6.00 Lakh	18.00 Lakh	-	
2. उद्यमस्थित भवन	3500.00 वर्ग फीट	टंचय	कुप	2010	5.02 Lakh	15.00 Lakh	-	
3. उद्यमस्थित भवन	आवास एवं कुर्ची पीता के साथ भूमि	टंचय	पट्टा	-	-	42.00 Lakh	-	प्लॉट अर्जित पिता के नाम से. पिता के द्वारा
4. उद्यमस्थित भवन	आवासीय भवन	टंचय	दो	-	-	30.00 Lakh	-	प्लॉट अर्जित पिता के नाम से. पिता के द्वारा

स्थान:- 15555

दिनांक:- 18.06.16

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम Ramesh Singh Mehta

पदनाम Asst Engineer Civil

विभाग P.W.D. Rudrapur

टिप्पणी:

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत कर 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य, कमी का उद्घरण जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में उद्घ की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कर मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कर का भुगतान का निर्माण अचल सम्पत्ति में भुगतान एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करने हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में प्लॉट का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा अर्जित सम्पत्ति के विवरण

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

61

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा..... विनोद कुमार 2. संवर्ग..... तकनीकी
3. वर्तमान धारित पद..... प्रभारी सहायक अभियन्ता, 4. वर्तमान वेतनमान..... 15600-39100 ग्रेड (5400.00)

क्र०सं०	जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम(क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1									
1	ग्राम-विहोरिया नं० 1 तहसील-हनुमान जिला-मैनपुरी	3150 sq.ft एवं आवासीय भवन	स्वयं के नाम पर है।	क्रम, श्री विक्रम सिंह बिष्ट, ग्राम-विहोरिया नं० 1, तहसील-हनुमान	वर्ष 2006-2007	250 लाख	40.00 लाख	50,000 'पन्नाज हजारा' गांव	SBI. से Loan GPF Loan. व वचन से आवासीय भवन का निर्माण किया गया है।

स्थान:- रुद्रपुर

दिनांक:- 30-9-2016

हस्ताक्षर..... विनोद कुमार
अधिकारी/कर्मचारी का नाम..... विनोद कुमार
पद नाम..... प्रभारी सहायक अभियन्ता
विभाग-लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

82

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण- पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

संवर्ग:- प्रथम श्रेणी राज पत्रित अधिकारी

अधिकारी का पूरा नाम एवं पता:- अनिल चन्द्र त्रिपाठी, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड नं-2, लोनिवि नैनीताल।

वर्तमान वेतनमान:- 15600-39100 ग्रेड पे- 7600

वर्तमान धारित पद:- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का संबंध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय / लीज / बंधक / उत्तराधिकार / उपहार / अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति / व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि / वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
अजबपुरकला, देहरादून	भूमि 236.70 वर्ग मीटर, भवन, प्रथम तल 180.00 वर्ग मीटर, द्वितीय तल 180.00 वर्ग मीटर	अनिल चन्द्र त्रिपाठी	236.70 वर्ग मीटर, भूमि कय श्री बीर जंग सिंह एवं श्री शेर जंग सिंह से। भूमि पर भवन निर्माण स्वयं द्वारा	20.03.2002 भूमि भवन 25.04.2003 भू-तल 01.02.2011 प्रथम तल	1400000/-	3000000/-	120000/-

स्थान:- नैनीताल

दिनांक:- 13.06.2016

हस्ताक्षर:-

अधिकारी का नाम:- अनिल चन्द्र त्रिपाठी

पदनाम:- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

विभाग:- लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड नं-2 नैनीताल।

6

2016
श्री विष्णु कुमारा अर्ज
सहायक अभियंता

15669-39160

सम्पत्ति अंकित करने का नाम (घर, लोका, बरक / इतराधिकार / उपहार, अन्य प्रकार, देखा वन व्यक्ति, व्यक्ति का विवरण, निम्न अंकित की गयी)	सम्पत्ति अंकित करने की तिथि / वर्ष	अंकित करने की तिथि	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति हेतु वार्षिक आय/लाभ =
3	1998	रु. 8.50 रु. 05.00	रु. 35.00 रु. 07.00	रु. 42.00
4				
5				
6				
7				
8				

18/6/2016

श्री विष्णु कुमारा अर्ज

सहायक अभियंता

...

7

THE
LIBRARY
OF THE
CITY OF BOSTON

६॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५॥ ६॥ ७॥ ८॥ ९॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ १८॥ १९॥ २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ २५॥ २६॥ २७॥ २८॥ २९॥ ३०॥ ३१॥ ३२॥ ३३॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥ ४४॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥ ४८॥ ४९॥ ५०॥ ५१॥ ५२॥ ५३॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥ ५८॥ ५९॥ ६०॥ ६१॥ ६२॥ ६३॥ ६४॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥ ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७३॥ ७४॥ ७५॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥ ७९॥ ८०॥ ८१॥ ८२॥ ८३॥ ८४॥ ८५॥ ८६॥ ८७॥ ८८॥ ८९॥ ९०॥ ९१॥ ९२॥ ९३॥ ९४॥ ९५॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥ ९९॥ १००॥

[illegible]

डिप्टिफ - 30/7/2016

[illegible]
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m \frac{d}{dt} (v^2)$$
[illegible]

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 192/XX(2)/2012-25(27)2002 दिनांक 26.03.2012 द्वारा जारी प्रपत्र

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(31 दिसम्बर 2015 तक की स्थिति के अनुसार)

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- दीपक कुमार, अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग। 2- सर्वग- श्रेणी "ख"

2- वर्तमान धारित पद- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड -2 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0, देहरादून। 4- वर्तमान वेतनमान- 15600-39100- 6800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बंधक/ उत्तराधिकारी/उत्तरा/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु0 में)	अभ्युक्ति
देहरादून	आवास फ्लैट संख्या बी-202 देवभूमि एन्क्लेव, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून क्षेत्र-139.21 वर्गमीटर	पूनाम देवी वर्मा पत्नी	कय अभिनव गोयल, अक्षत गोयल पुत्र श्री संजीव कुमार गोयल पता - हनुमंत कृपा 104/18 देहरादून रोड, ऋषिकेश जिला -देहरादून।	28.06.2012	रु0 22.00 लाख	रु0 35.00 लाख (लगभग)	-	रु0 15.00 लाख लोन ओ0बी0सी0 नेहरु कालोनी देहरादून रु0 2.50 लाख लोन सामान्य भविष्य निधि से।
ग्राम -बैरहवा मजेर -गोदहा पो0 -सदरुददीनपुर जिला -बाराबंकी उत्तर प्रदेश।	खेती की जमीन क्षेत्र 3.00 बीघा	दीपक कुमार	उत्तराधिकार श्री मकुन्दीलाल वर्मा दादा जी की मृत्यु के फलस्वरूप ग्राम -बैरहवा, पो0 -सदरुददीनपुर जिला -बाराबंकी उत्तर प्रदेश।	जनवरी -2013	-	रु0 20.00 लाख (लगभग)	-	

स्थान देहरादून।

दिनांक 30.03.2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- दीपक कुमार

पद नाम- अधिशासी अभियन्ता

विभाग- निर्माण खण्ड -2 (ए0डी0बी0) लो0नि0वि0, देहरादून।

टिप्पणी-

1- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणीयों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिकार्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिकार्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिकार्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पथक-पथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पथक-पथक अंकित किया जाय।

4- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा **प्रभाश चन्द्र जोशी**
3. वर्तमान धारित पद **प्रभाश चन्द्र जोशी**
2. संवर्ग **समूह 'ख'**
4. वर्तमान वेतनमान **15600-39100 (ग्रे-7600)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बैंक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अन्य विवरण
1- कुसुमारेन्द्र दल्हानी (नैनीताल)	भूमि एवं आवास 316-91 क्वी.मी.	प्रभाश चन्द्र जोशी (स्वयं)	ग्रामी की सलैरी रकम ₹ 80 लाख गली नं० 8, बरेली रोड दल्हानी के ऊपर भवन निर्माण	18/08/2008	1.91 लाख	3.00 लाख	NIL	इस भूमि के ही भवन का निर्माण किया गया है।
2- ग्राम एवं पोस्ट दुर्गेश्वर, तहसील नयागढ़ जालंधर-145001	ग्रामी 9 नाज्जि लगे भवन	पैसु	पैसु	2007	6.00 लाख	12.00 लाख	NIL	समूह परिवार के द्वारा है, इसके पैसु देयते से देवभाई के भाई नवल के लगे घर है - दो बिगड़ नवल के

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पद नाम
विभाग
.....

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

वर्ष 2015

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

महेश्वर

के लिए दिनांक 01 जनवरी

2. सर्वे

वर्तमान वेतनमान

15600-37100-6600

3. वर्तमान धारित पद

उपनिर्देशक

वर्तमान वेतनमान

15600-37100-6600

1. तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अभ्युक्ति
1				5	6	7	8	9

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक संबन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्ष 2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार

वर्तमान धारित पद वर्तमान वेतनमान 15650-3700-6650

हस्ताक्षर	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग	वर्तमान वेतनमान	संवर्ग	की स्थिति के अनुसार
अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी का नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम	पदनाम	पदनाम	पदनाम	पदनाम
विभाग	विभाग	विभाग	विभाग	विभाग	विभाग	विभाग
वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान	वर्तमान वेतनमान
संवर्ग	संवर्ग	संवर्ग	संवर्ग	संवर्ग	संवर्ग	संवर्ग
की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्ष 2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार
- वर्तमान धारित पद वर्तमान वेतनमान 15650-3700-6650
- की स्थिति के अनुसार

4

85

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड भासन के पत्र संख्या 192/XXX(2)/2012-25(27)2002 दिनांक 26-03-2012 द्वारा जारी प्रपत्र

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण- पत्र

(वर्ष 2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2015 की स्थिति अनुसार)

1-अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- Sanjay Pant

Engineering

2-संवर्ग- श्रेणी 'क' / ख

ख

3-वर्तमान धारित पद- Assistant Engineer

4-वर्तमान वेतनमान-

15600 - 39100 ग्रेड पे- 7600

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रम/लीज/ बंधक / उत्तरकाशी/ उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण,जिससे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dehradun / Dehradun / Banjarawala	Land - 368.02 Sqm.	Self	Purchase	2005	496500.00	1348000.00	Nil	
Dehradun / Dehradun / Banjarawala	House (Under Construction)	Self	On above Land	30-12-2014	4000000.00	4000000.00	Nil	House Under Construction. Received House Loan from ICICI Bank , Amount Rs. 2500000.00
Dehradun / Vikashnagar / Sheshambara	Land - 752.00 Sqm.	Self	Purchase	2007	161870.00	900000.00	Nil	

स्थान- Dehradun

दिनांक- 28.04.2015

हस्ताक्षर- अधिकारी का नाम- पद नाम- विभाग-

Sanjay Pant Assistant Engineer Public Works Department

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कामों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा कुशा सिंह महता

2. वर्तमान धारित पद सहायक अभियन्ता

3. वर्तमान वेतनमान 15600 - 39100 - 7600 C.P.

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जित लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मैनोला, टण्डाना, कुलम (वडा)	ग्राम आवासिये टण्डाना 2400 Sq Feet	रवय	ग्रय	1994	120	35000 लाख	-	-
- लवय -	मजान (उमल 2/मिटर)	- 40 -	ग्रय	1997		30.00 लाख	-	-

स्थान:- मि० ए० ए० ए० मि० ए० रवलीमा

दिनांक:- 7-1-2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

कुशा सिंह महता

सहायक अभियन्ता

मि० ए० ए० मि० ए० रवलीमा

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 192/XXX(2)/2012-25(27)2002 दिनांक 26-03-2012 द्वारा जारी प्रपत्र

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- शरद कुमार (राजकीय सेवा) लोक निर्माण विभाग

2- सर्वग- श्रेणी 'क'

वर्तमान धारित पद- मुख्य अभियन्ता, पीएम0यू0, ए0डी0बी0, देहरादून

4- वर्तमान वेतनमान- 37000-67000 ग्रेड पे0-8900

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला तहसील और गाँव/शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तरकाशी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
लखनऊ, तहसील-सदर, लखनऊ	आवासीय भूखण्ड, (235 वर्ग मी०)	स्वयं	क्रय	1999-2000	1.55 लाख	35.00 लाख	-	सरकारी सेवा के पूर्व आवास विकास परिषद, लखनऊ में रहते हुये परिषद कोट से 1989 में आवंटित, स्वयं की बचत से किस्तों में भुगतान
देहरादून, तहसील-सदर, देहरादून	आवासीय भवन, (190 वर्ग मी०)	स्वयं	क्रय	2001-2002	5.65 लाख	50.00 लाख	60,000	एल0आई0सी0 ऋण एवं स्वयं की बचत से
देहरादून, तहसील-सदर, केन्द्रीय दून	आवासीय भूखण्ड, (254 वर्ग मी०)	श्रीमती रेखा, पत्नी	क्रय	1999	1.15 लाख	15.00 लाख	-	श्रीमती रेखा प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है, तथा अपने स्वयं की बचत से क्रय किया
देहरादून तहसील- विकास नगर	आवासीय भूखण्ड, 0.0167 हेक्टेयर (167 वर्ग मी०)	श्रीमती रेखा, पत्नी	क्रय	2009-2010	1.00 लाख	5.00 लाख	-	श्रीमती रेखा प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका है, तथा अपने स्वयं की बचत से क्रय किया
दिल्ली (एण्डरगंज)	आवासीय फ्लैट (69.96 वर्ग मी०)	स्वयं एवं भाई (संयुक्त)	पैतृक	2014-15	-	32.00 लाख	1,18,800.00	पिता द्वारा स्वयं एवं सगे भाई को संयुक्त रूप से दान की गई सम्पत्ति (पैतृक)

हस्ताक्षर, 16/06/15

अधिकारी का नाम- शरद कुमार

शरद कुमार
विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

Dehradun, Uttarakhand

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणीयों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल पर।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र (ख)
(उन शासकीय सेवकों के लिए जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार के पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है।

भू-सम्पत्ति/गृह सम्पत्ति

भूमि जो में है।			क्षेत्रफल एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित तो अर्जित करने की दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित वर्तमान लागत	अभ्युक्ति
जिला	तहसील	गांव					
बागेश्वर	काण्डा	भन्तोला		पैतृक पुराना मकान लगभग 20 वर्ष पुराना	शून्य	2.00 लाख	
बागेश्वर	काण्डा	भन्तोला		गाँव में भूमि लगभग 20 नाली सिंचित एवं असिंचित।	शून्य	3.00 लाख	
नैनीताल	हल्द्वानी	बिठौरिया नं० 1		5640 वर्ग फिट दिनांक 18.09.1998	शून्य	10.00 लाख	स्वयं व पुत्र के नाम 3000 वर्ग फिट में भवन 2014 में निर्मित। जिस हेतु जी०पी०एफ० एवं यूनियन बैंक हल्द्वानी से रु० 16.70 लाख का लोन लिया गया है।
नैनीताल	हल्द्वानी	कमलवागांजा		4230 वर्ग फिट दिसम्बर 2008	शून्य	8.00 लाख	पत्नी के नाम

पैतृक रूप से एवं विवाह में ससुराल से प्राप्त 20 तोला सोने के जेवरात भी मेरी पत्नी के पास हैं।

- (1) 1990 मॉडल का स्कूटर है।
- (2) 2000 मॉडल की मारुति 800 कार है।

यदि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) मेरा परिवार भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करेंगे तो मैं तथ्य को सम्पत्ति अर्जित करेंगें तो मैं तथ्य को सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि से एक माह के भीतर घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर -

नाम -

पदनाम -

दिनांक -

पी०सी० जोशी

अधिकांसी अभियन्ता,

प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडीहाट

31/12/2015

उनके लिए जिनके किसी अंश (SHARES) या विनिधान (INVESTMENT) नहीं है

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरा परिवार किसी अंश या अन्य किसी अंश या अन्य किसी विनिधान (INVESTMENT) का स्वामी नहीं है इसके पश्चात् यदि कोई अंश अर्जित करते हैं तो उसे सम्बन्धित अवधि के लिए घोषणा मैं उस तिथि को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर -

नाम - पी०सी० जोशी

पदनाम - अधिशासी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडिहाट

दिनांक - 31/12/2015

उन व्यक्तियों के लिए जो अंशों के स्वामी को या जिनके अन्य विनिधान हों।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में निम्नलिखित अंश और विनिधान है।

अंश (SHARES)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	LIC No 242403233	23.08.2011	13953.00 प्रति वर्ष		100000.00	स्वयं की
2	LIC No 240967396	20.12.2002	5120.00 प्रति वर्ष		100000.00	स्वयं की
3	LIC No 240900770	13.12.2000	4192.00 प्रति वर्ष		100000.00	स्वयं की
4	LIC No 240263413	13.08.1994	1261.00 प्रति वर्ष		100000.00	स्वयं की
5	LIC No 240334840	15.12.1998	4849.00 प्रति वर्ष		50,000.00	स्वयं की
6	LIC No 242396406	12.01.2011			50,000.00	स्वयं की
7	LIC No 212399800	31.03.2011			100000.00	स्वयं की
8	LIC No 243547288	23.11.2015			77647.00	स्वयं की
9	LIC No 243547289	23.11.2015			413756.00	स्वयं की
10	Bajaj Life Insurance No 0095454733	28.03.2008	25000.00 प्रति वर्ष		125000.00	स्वयं की
11	6N.S./51E.E. 912073	22.09.2005			10000.00	स्वयं की
12	6N.S./51E.E. 912074	22.09.2005			10000.00	स्वयं की
13	6N.S./51E.E. 912075	22.09.2005			10000.00	स्वयं की
14	6N.S./51E.E. 912076	22.09.2005			10000.00	स्वयं की
15	6N.S./51E.E. 912077	22.09.2005			10000.00	स्वयं की
16	PPF SBI Didihat A/c 11569315479	12.06.2002			1132453.00	
17	Lone A/C AA-975759		18000.00		1200000.00	
18	SBI Haldwani A/C No 11563790915				30000.00	
19	Union Bank Haldwani A/C 544002010071394				40000.00	
20	GPF A/C No PWDUA/22983				641957.00	

हस्ताक्षर -

नाम - पी०सी० जोशी

पदनाम - अधिशासी अभियन्ता,
प्रा०ख०, लो०नि०वि० डीडिहाट

दिनांक - 31/12/2015

अधिकारों का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2. स्वयं रजिस्ट्रार एवं वर्तमान पद पंचायती सहायक अधिकारी (सिविल)

1. जिला, तहसील और गांव का शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	7. वर्तमान आय (रु० में)	8. सम्पत्ति से आय (रु० में)	9. अन्य विवरण
दरिदर, रुड़की भाग 1, खालसा भंगलौराटान	भूमि एवं अन्य भवन का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित) 4400 Sq ft	स्वयं की पत्नी का नाम	उत्तराधिकार	—	—	40.00 लाख	—	पैतृक कागज
दरिदर, ब्यालापुर गांव-बुलतापुर राजरी	भूमि 1596 Sq ft	स्वयं से कार्यरत का नाम	स्वयं से कार्यरत	मार्च 2015	11.60 लाख	12.00 लाख	—	स्वयं की पत्नी एवं लोकर हाथ कागज की गयी।

स्थान:- देहरादून
दिनांक:- 27/01/16

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम डॉ० अश्विन्द कुमार
पदनाम राजकीय सहायक अधिकारी (सिविल)
विभाग निजी निगम विभाग देहरादून

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं प्राप्त की सम्पत्ति का विवरण अंकित किया जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
वर्ष ०८-२०१३ के लिए दिनांक ०१ जनवरी की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा जगत सिंह कन्याल
2. स्वग सहायक भाग्यशाली
3. वर्तमान धारित पद सहायक भाग्यशाली
4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
पुष्पगंगा डीडिवर गांव, जिला	14 नाला + भूखंड (भूमि)	जगत सिंह कन्याल	उत्तराधिकार	०८-०९-२०१३	७.५० लाख	७.५० लाख	—	9
सोहगाँव गांव, जिला	२००.० वर्ग मीटर (भूमि)	जगत सिंह कन्याल (पत्नी)	ग्राम	२९-४-२०१३	२.०२ लाख	३.५० लाख	—	—
पुष्पगंगा डीडिवर गांव, जिला	१५२.०० वर्ग मीटर (भूमि)	जगत सिंह कन्याल	उत्तराधिकार	०८-०९-२०१४	८.००	८.५० लाख	—	—
पुष्पगंगा डीडिवर गांव, जिला	५५३.०० वर्ग मीटर (भूमि)	जगत सिंह कन्याल	ग्राम	२०००	३.३०	६.६०	—	—
पुष्पगंगा डीडिवर गांव, जिला	२२००.०० वर्ग मीटर (भूमि)	जगत सिंह कन्याल	स्वयं निर्मित	४२००४६१०२०१५	३५.००	३५.००	—	—

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम जगत सिंह कन्याल

पदनाम सहायक भाग्यशाली

विभाग पुष्पगंगा, जिला

दिनांक: ०८-०९-२०१३

- टिप्पणी:
1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष ३१ दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की ०१ जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की ३१ जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक ०५ वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
 2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक ०५ वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त ०१ जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ ६ में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्यांकन कर कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ २ में भवन एवं मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्तम्भ ६ में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
 4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित हो जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अवल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्ष की स्थिति के अनुसार) 2. प्रकाश चन्द
3. वर्तमान धारित पद प्रभारी सहायक सत्रियन्ता

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			गुप्त					

स्थान:- भगीतल
दिनांक:- 08-07-2016

हस्ताक्षर [Signature]
अधिकारी का नाम प्रकाश चन्द
पदनाम प्रभारी सहायक सत्रियन्ता
विभाग प्रां. स्व. लो. वि. वि. नै. नी. ताल.

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधित्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधित्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी का वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधित्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पूर्व विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड उपलब्ध अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी उचित-व्याप्त अंकित किया जाय।
- अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति को उचित-व्याप्त अंकित किया जाय।

पत्रावली संख्या 2075
पंजिका संख्या 1764
दिनांक 18/7/2016

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थिति के अनुसार

तकनीकी

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा स्थिति: **विनेश चन्द**
2. वर्तमान धारित पद: **सहायक अधीक्षक**
3. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है: **जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर**
4. वर्तमान वर्तमानमान: **15600-39100 ग्रेड प 6600**

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1. हजयानी जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर	ग्रामपंचायत (3180 मी) श्रीमती विपिन चन्द	श्रीमती विपिन चन्द	नकद	मई 1997	1.58 लाख	1.58 लाख	बाल्य	
2. बल्लभपुर जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर	ग्रामपंचायत (1500 मी) विनेश चन्द	विनेश चन्द	नकद	मई 2005	5.44 लाख	5.44 लाख	बाल्य	
3. बल्लभपुर जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर	ग्रामपंचायत (1500 मी) विनेश चन्द	विनेश चन्द	नकद	मई 2012	8.16 लाख	8.16 लाख	बाल्य	
4. बल्लभपुर जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर	ग्रामपंचायत (1500 मी) विनेश चन्द	विनेश चन्द	नकद	मई 2012	8.16 लाख	8.16 लाख	बाल्य	
5. बल्लभपुर जिला-बल्लभपुर, तहसील-बल्लभपुर, गांव-बल्लभपुर	ग्रामपंचायत (1500 मी) विनेश चन्द	विनेश चन्द	नकद	मई 2012	8.16 लाख	8.16 लाख	बाल्य	

हस्ताक्षर: **विनेश चन्द**
अधिकारी का नाम: **विनेश चन्द**
पदनाम: **सहायक अधीक्षक**
विभाग: **सहायक अधीक्षक**

स्थान: **बल्लभपुर**
दिनांक: **18/07/2016**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।
1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।
4. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।

वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
2. संवर्ग
3. वर्तमान धारित पद
4. वर्तमान वेतनमान

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा	2. वर्तमान धारित पद	3. वर्तमान वेतनमान	4. वर्तमान वेतनमान	5. वर्तमान वेतनमान	6. वर्तमान वेतनमान	7. वर्तमान वेतनमान	8. वर्तमान वेतनमान
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उम्मा व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से प्राप्त आय (रु० में)
हल्द्वानी	भूमि/कृषक	श्री राजेश राम, स्वयं, श्री दिनेश राम, पत्नी	पैठक	1999	—	16.00 = 4.00 लाख	—
हल्द्वानी	भूमि 280.25	श्री दिनेश राम, पत्नी	क्रय, श्री राजेश मोहन, पत्नी, श्री राजेश मोहन, पत्नी	01/2006	253 लाख	4.00 लाख	—
हल्द्वानी	भूमि 235.66	श्री दिनेश राम, पत्नी	क्रय, श्री अरुण कुमार, पत्नी	04/2009	4.07 लाख	6.00 लाख	—
देहरादून (देहरादून)	फ्लैट 113.05	श्री दिनेश राम, पत्नी	क्रय - 10.15 अंश दिनेश राम, पत्नी	01/2012	16.00 लाख	20.00 लाख	120 लाख
हल्द्वानी	भूमि 371.74	श्री दिनेश राम, पत्नी	उपहार - श्री राजेश मोहन, पत्नी	09/2003	—	5.00 लाख	—

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

टिप्पणी:

1. श्री 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया जाय।
2. 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
3. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के अंकित किया जाय।
4. जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
5. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण कर भवन का अंकित किया जाय।
6. तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
7. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा - राजीव गुरुरानी
2. वर्तमान धारित पद - प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
3. संवर्ग - सामान्य
4. वर्तमान वेतनमान - 15600-39100

खिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला - अल्मोड़ा तहसील - अल्मोड़ा शहर - अल्मोड़ा।	आवासीय भवन संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है कुल क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है।	संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है अभी मेरे नाम पर नहीं है।	उत्तराधिकार	-	-	-	-	पारिवारिक सम्पत्ति संयुक्त परिवार की है। पिताजी के देहान्त के बाद वर्तमान में चाचा के पोते के पास है अभी बटवारा नहीं हुआ है।
जिला - नैनीताल तहसील - नैनीताल शहर - नैनीताल।	आवासीय भवन संयुक्त पारिवारिक है जिस प्रभाग में रहता है उसका क्षेत्रफल लगभग 700 वर्गफिट है।	श्री किशन गुरुरानी (माई)	उत्तराधिकार	1981	पैतृक	10,00,000.00 (अनुमानित)	शून्य	पैतृक आवास तीन मंजिला है एक मंजिला में मैं व अन्य दो मंजिलों में दो भाई रहते हैं।
जिला - नैनीताल तहसील - हल्द्वानी शहर - काठगोदाम हल्द्वानी।	आवास का जो प्रमाण मेरे पास है उसका क्षेत्रफल लगभग 1000 वर्गफिट है।	रव0 इन्दिरा गुरुरानी (पुत्र)	उत्तराधिकार	1995	पैतृक	15,00,000.00 (अनुमानित)	शून्य	पैतृक आवास दो मंजिला है।

स्थान:- नैनीताल

दिनांक:- 02.07.2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम - राजीव गुरुरानी

पदनाम - प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

विभाग - ए०डी०बी० (आपदा) खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले क्लेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कर्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2014-2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2015 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा
2. वर्तमान धारित पद

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है

संवर्ग तदनुक्ति

वर्तमान वेतनमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
—ग्राम— शरणा		—शरणा—	—शरणा—	—शरणा—	—शरणा—	—शरणा—	—शरणा—	—शरणा—

स्थान: जिला

दिनांक: 27/06/2015

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम
पदनाम
विभाग

टिप्पणी:

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा (वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2. सर्वे 3. वर्तमान धारित पद 4. वर्तमान वेतनमान 15600-39000/- G.P 7600/-

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	9. अन्य
1. नैनीताल जिला नैनीताल तहसील नैनीताल	आवासीय भवन 2000 Sqft	स्वयं के नाम से श्री 2400 Sqft	स्वयं निर्मित भवन	2004-05	6,00,000/-	20,00,000/-	5000/-	9
2. नैनीताल तहसील नैनीताल	भूमि 4 बीघा	कमला बसना 19 पत्नी	क्रय	2009	6,50,000/-	9,50,000/-	5000/-	
3. नैनीताल तहसील नैनीताल	भूमि 8 बीघा	- स्वयं -	क्रय	2004-2015	8,89,000/-	8,89,000/-	निवास हेतु	

स्थान:- नैनीताल
दिनांक:- 27/7/2016

हस्ताक्षर:-
अधिकारी का नाम देवसिंह बसना
पदनाम सहायक अधिका
विभाग वि. कुं. लो. दि. 01/8/2016

टिप्पणी:

- अग्रे क एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत को जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत को जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इत औरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी की वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिव्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुन: विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय को गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड की पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूनि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर अधिकार विवरण के अन्य सदस्यों के नाम से अंकित सम्पत्ति सम्पत्ति को जाय।

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी भेदक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

वर्तमान धारित पद

2. सर्वोच्च

पुष्कर चन्द्र पन्त सहायक संप्रभुता (सिविल)

4. वर्तमान वेतनमान

15600-39100 ग्रेड पे ₹ 7600/-

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय, मृमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (सित्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामि का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लोज/बेचक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (रु० में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभियान्तिकी
1. अल्मोड़ा तहसील यतीखा खान के पास कुपकोली भूखण्ड भवन	पैतृक संयुक्त पुष्कर चन्द्र पन्त एवं अन्य भ्रातागण (संयुक्त खाते के अन्तर्गत)	पुष्कर चन्द्र पन्त एवं अन्य भ्रातागण (संयुक्त खाते के अन्तर्गत)	उत्तराधिकार	1993	-	-	-	पिताजी की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार से प्राप्त
2. नैनीताल हल्द्वानी बिठौरिया नं० 1	आवासीय प्लॉट 191.54 वर्गमीटर	श्रीमती निर्मला पन्त पत्नी श्री पुष्कर चन्द्र पन्त	अर्जित (क्रय की गई भूमि) श्री राकेश कुमार दुःस्वत श्री जगदीश प्रसाद भोलानाथ गौड़न हल्द्वानी (नैनीताल)	02.11.99	1.01 लाख मात्र	15.00 लाख मात्र	- NIL -	-

स्थान:- नैनीताल

दिनांक:- 28/07/2016

टिप्पणी:

1. कर्मियों का एवं स्वयं के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी के स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष को 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियन्त्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत को जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत को जाय।
2. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इत दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी का गारंटीफिकेशन तत्काल तत्पश्चात् अर्जित को जाय और यदि कोई आधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में देय हो गई हो तो तत्काल 6 में कुल कर्म नूतन अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कर्म कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो तत्काल 6 में भवन एवं भूखण्ड का पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार तत्काल 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण के लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सम्पत्ति के विवरण के अन्तर्गत कर्मियों के नाम में अर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित को जाय।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

पुष्कर चन्द्र पन्त

सहायक संप्रभुता (सिविल)
लोक निर्माण विभाग, निष्ठाखण्ड नैनीताल

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं तब वर्तमान धारित पद

वर्तमान वेतनमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1. जिला नैनीताल तहसील - नैनीताल नारायण नगर	800 वर्ग फीट 0.03 हे० (आवास 1200 वर्ग फीट)	राजेंद्र नारायण आमरी नैमा देवी पत्नी राजेंद्र नारायण	पैत्रिक संघर्ष उत्तराधिकार)	—	—	4.5 लाख	स्वयं के आवास हेतु	—
जिला नैनीताल ग्राम हरिपुर जोगू तहसील - हल्द्वारी	—	—	ब्रह्म, श्री हरिहर ग्राम हरिपुर जोगू हल्द्वारी नैनीताल	29-6-12	5.6 लाख	22.00 लाख	स्वयं के आवास हेतु	—

स्थान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम राजेंद्र नारायण

पदनाम सहायक अभियंता

विभाग निर्माण खाण्ड को० नि० वि० नैनीताल

टिप्पणी:

- अर्थों के एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी को स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित निदेशित/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत को जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत को जाय।
- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिस्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिस्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी का गारंटीविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित को जाय और यदि कोई आधिस्य/कमी को स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति का ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- जो सम्पत्ति निर्मित आवासीय इलाक़/अन्य भवन के रूप में अब को गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय गृह्य अंकित किया जाय और यदि मुख्य पृथक कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 6 में भवन एवं मुख्य पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी गृह्यक-पृथक अंकित किया जाय।
- इस पत्र में सम्पत्ति विवरण पत्र में सम्पत्ति के द्वारा प्राप्त तथा अन्य प्रकार से अर्जित सम्पत्ति के अन्य तदर्थों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित को जान।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा केलाश सेतेला
2. वर्तमान धारित पद पु.स.ए. 2
3. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा केलाश सेतेला
4. वर्तमान वेतनमान 9,300 - 34,800

1. जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	2. सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	3. सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	4. सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/व्यापार/उत्तराधिकार/संप्रदाय/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	5. सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	6. अर्जन लागत (र. में)	7. वर्तमान अनुमानित मूल्य (र. में)	8. सम्पत्ति से वार्षिक आय (र. में)	9. अन्य
1. नैनीताल दहदुली	1800 वर्ग फिट आ 167.28 वर्ग मीटर	प्रमोदी-हेमा सेतेला पत्नी	क्रम	10/2013	3.02 लाख	5.50 लाख	-	-

स्थान : नैनीताल
दिनांक : 25-2-2016
हस्ताक्षर : (स. ज. म. थ.)
अधिकारी का नाम : केलाश सेतेला
पद नाम : पु.स.ए. 2
विभाग : लै. व. नि. व. वि. व. (नि. व. स्त.)

टिप्पणी :
1. भेजी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियुक्ति/नियुक्ति को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में केंद्र की गई हो तो स्तम्भ 8 में मूल्य अंकित किया जाय और यदि मुखण्ड कय कर उरा पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुखण्ड को पृथक्-पृथक् अंकित कर दो हुए तदनुसार स्तम्भ 8 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक्-पृथक् अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थिति के अनुसार)

वर्ष 2014-15

अधिकारों का पूरा नाम एवं तथा वर्तमान धारित पद उपरी सहायक अधिकारी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹0 में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹0 में)	अभ्युक्ति
रहस्य, मैनीताल (कमलपुरा गांव, तराई, मैनीताल)	भूमि 104.55 sq m	स्वयं	क्रय (श्रीमती श्रीमती लीटि - 60 श्री सुभाष चंद्र बिरा - मिश्रा, जलपाना)	2014	₹ 1,68,000/-	₹ 1,68,000/-	रहस्य	

स्थान:- मैनीताल
दिनांक:-
हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम उपरी सहायक अधिकारी
पदनाम उपरी सहायक अधिकारी
विभाग मिनीताल, जलपाना, मैनीताल

- टिप्पणी:
- अर्थों के एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी को स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत को जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत को जाय।
 - प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इतत दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्य, कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को भारतीयक एनलक सम्पत्ति अर्जित को जाय और यदि कोई आधिव्य/कमी को स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुन विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
 - यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय को गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि प्रमुख अंकित किया जाय।
 - यदि स्तम्भ 2 में भवन एवं प्रमुख अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी प्रमुख-पृथक अंकित किया जाय।
 - अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा पुत्र नर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्पत्ति को जान।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

वर्ष 2016-17 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थिति के अनुसार

अग्रिम पृष्ठ

2 संवर्ग

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा

सहायक, आर्थिक प्रशासन

अधिकारी का नाम एवं सेवा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (संश्लेषण सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हों तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अस्युक्ति
1- सैयफाबाद, तहसील हौर जिला-पिबौरागढ़	कृषि भूमि 3.856 हे०	जय सिंह खोलीगा	पं. लखन	-	-	-	-	-
2- लोहादिगा खाल गावला हौर जिला-पिबौरागढ़	शुल्का 2250 रु० प्रति वर्ष 1700 रु० प्रति वर्ष	जय सिंह खोलीगा	पं. लखन	2008-09	2-83 लाख	-	-	-
3- बन्नीगा नर 1 सल्हारी जिला-पैनीताल	आवासीय भूखंड 1800 मी० की	जय सिंह खोलीगा	पं. लखन	2014-15	25.00 लाख	-	-	-
4- बन्नीगा नर 2 सल्हारी जिला-पैनीताल	आवासीय भूखंड 2000 मी० की	जय सिंह खोलीगा	पं. लखन	2014	3-35 लाख	-	-	-
5- बन्नीगा नर 3 सल्हारी जिला-पैनीताल	आवासीय भूखंड 2000 मी० की	जय सिंह खोलीगा	पं. लखन	2014	7.16 लाख	-	-	-

अधिकारी का नाम जय सिंह खोलीगा

पदनाम सहायक, आर्थिक प्रशासन

विभाग पैनीताल

हस्ताक्षर

200

अधिकारी का नाम जय सिंह खोलीगा

पदनाम सहायक, आर्थिक प्रशासन

विभाग पैनीताल

टिप्पणी:

1. अणों का एवं खु के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष को 01 जनवरी को स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष को 01 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रण अधिकारियों का अवश्य प्रस्तुत को जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत को जाय।
2. प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इतत दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को आवासीय सम्पत्ति अर्जित को जाय और यदि कोई आधिव्यय/कमी को स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति का जो मुल्य विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति निर्माण आवासीय भवन, अन्य भवन के रूप में किये को गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि कोई भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 6 में भवन का भूखण्ड का मूल्य अंकित करत हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण को लागत को भी दर्शाया जाय।

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 192/XXX(2)/2012-25(27)2002 दिनांक 26-03-2012 द्वारा जारी प्रपत्र

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण- पत्र

(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

1-अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-

अतुल शांडिल्य

2-संवर्ग- श्रेणी 'क' / ख

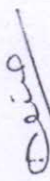
3-वर्तमान धारित पद-

प्रभारी सहायक अभियन्ता

4-वर्तमान वेतनमान-9300.34800 ग्रेड पे-4800

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रम/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण,जिससे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			शून्य					

स्थान- गोपेश्वर
दिनांक- 25.06.2016

हस्ताक्षर- 
अधिकारी का नाम-अतुल शांडिल्य
पद नाम-प्रभारी सहायक अभियन्ता
विभाग-ए०डी०बी० (आपदा) राण्ड लोनि०वि० चमोली

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 दिसम्बर तक सम्पत्ति नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ ए पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित नो जाए।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण -पत्र
(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- दीपक कुमार
2. वर्तमान धारित पद - प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

2. संवर्ग-

4. वर्तमान वेतनमान- 15600.00- 39100.00 ग्रेड वेतन 7600.00

जिला, तहसील और गांव शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
देहरादून	आवासी भूकन क्षेत्र- 100 वर्ग क्षेत्र	दीपक कुमार व रूचा राणा	क्रय	12.06.2016	1600000.00	3000000.00	NIL	

स्थान - गोपेश्वर

दिनांक- 24.06.2016

हस्ताक्षर-

अधिकारी का नाम- दीपक कुमार

पदनाम- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

विभाग- लोक निर्माण विभाग

(वर्ष 2013 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2014 की स्थिति अनुसार)

2- संवर्ग- श्रेणी 'क' / ख

4- वर्तमान वेतनमान- 27/00 = 50

ग्रेड पे- 54 00 = 50

1- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- आशुतोष कुमार शर्मा, प्रभारी उन्निवेश आभियंता

पिराहा शहरी और गांव में शहर विसर्ग सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/व्यवस्थापक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2024						

हस्ताक्षर-
अधिकारी का नाम- आशुतोष कुमार शर्मा
पद नाम- प्रभारी उन्निवेश आभियंता
विभाग- लाक निर्माण विभाग

स्थान- उत्तराखण्ड
दिनांक- 03.03.2016

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

20

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा **अजीत सिंह** **जो निरक्षर** **उत्तराखण्ड** **2** **सर्व**

2. वर्तमान धारित पद **प्रकारी सहायक** **डॉ. चटर्जी** **4** **वर्तमान वेतनमान** **4800** **ग्रेड**

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अनुवृत्ति
1. सैफ कोटवाल पिठौरा उत्तराखण्ड	अर्जित 1800 Sqft.	मी. प्रदीप सिंह पत्नी	रूप	14/11/08	1,87,000/00	20,00,000/00	—	अर्जित पर 16 अक्टू मिनी 2010 रूप में
2. सैफ कोटवाल पिठौरा उत्तराखण्ड	आवासीय 1500 Sqft.	मी. प्रदीप सिंह पत्नी	—	2010	15,00,000/00	—	—	अर्जित पर 16 अक्टू मिनी 2010 रूप में
3. विजयपुर नर्मदा, बावन महाराष्ट्र महाराष्ट्र	3.541 Hect.	मी. प्रदीप सिंह पत्नी	पे. वृ. क.	—	—	49,00,000/00	10,00,000/00	अर्जित पर 16 अक्टू मिनी 2010 रूप में

स्थान:- **उत्तराखण्ड**
दिनांक:- **28/6/2016**

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम **अजीत सिंह**
पदनाम **प्रकारी सहायक**
विभाग **जो निरक्षर**

टिप्पणी:

- श्रेणी 1 एवं ख के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सबन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अर्जित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुन विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड अथवा उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कमियों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- महेश चन्द्र पाण्डे वर्ष 2016

वर्तमान धारित पद- अधिशासी अभियन्ता

2. संवर्ग - समूह "क"

4. वर्तमान वेतनमान- 30010+7600.00

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (कय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे सम्पत्ति अर्जित की है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि एवं वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अल्मोड़ा, भनोली, ग्राम-डणालूँ	जमीन-एक एकड़ भवन-आवासीय	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती सुशीला पाण्डे	पैतृक सम्पत्ति	-	8.00 लाख	15.00 लाख	0.30 लाख	-
नैनीताल, हल्द्वानी जैवापूल	भूखण्ड 0.07 एकड़ भवन-आवासीय	स्वयं एवं पत्नी श्रीमती सुशीला पाण्डे	कय स्वयं निर्मित	वर्ष 1995	भूमि-1.55 लाख भवन-12.00 लाख	90.00 लाख	आवासीय	-

स्थान -रुद्रप्रयाग

दिनांक:- 14.6.2016

हस्ताक्षर-
अधिकारी का नाम- महेश चन्द्र पाण्डे
पद नाम- अधिशासी अभियन्ता
विभाग- ए०डी०बी० (आपदा) खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

टिप्पणी:-

1- श्री "क" एवं "ख" के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रण अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कमियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कम कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का कुल मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कमिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- सुरेश चन्द्र पौडियाल वर्ष 2016
2. वर्तमान धारित पद- प्रभारी सहायक अभियन्ता

2. संवर्ग - समूह "ख"

4. वर्तमान वेतनमान- 9300.00-34800.00 (ग्रेड वे 4800.00)

जिला, तहसील और गाँव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/वन्धक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे सम्पत्ति अर्जित की है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि एवं वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नैनीताल, हल्द्वानी, ग्राम-धौलाखेड़ा	जमीन-0.3745 हेक्टेयर आवासीय	स्वयं	पैतृक सम्पत्ति	-	-	भूमि-30 लाख भवन-35 लाख	10 हजार	-

स्थान -रूद्रप्रयाग

दिनांक:-

हस्ताक्षर- 22/6/2016

अधिकारी का नाम- सुरेश चन्द्र पौडियाल

पद नाम- प्रभारी सहायक अभियन्ता

विभाग- ए०डी०बी० (आपदा) खण्ड लो०नि०वि०

रूद्रप्रयाग

टिप्पणी:-

1- श्री "क" एवं "ख" के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलैण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रण प्रधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कमिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।

2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।

3. यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लेट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय अंकित किया जाय और यदि मुखण्ड कम कर उस भवन का निर्माण अक्षेत्र्य किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मुखण्ड को पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का कुल मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।

4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

AF- मुख आमेधेता को जालेकीदे-20/07/16

राज्याधीन सेवाओं के क्रमिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- मौ. आभर
2. वर्तमान धारित पद- पुजारी महायज्ज आभर
2. संवर्ग- अभूट-२८
4. वर्तमान वेतनमान- (१३०० - ३४८००)

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बन्धक/उत्तराधिकारी/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे सम्पत्ति अर्जित की है	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि एवं वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति में वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1 २०८ की जिला-हरद्वार	2 आवासीय लगा १३.०० वर्ग मी.	3 स्वयं	4 पूज की जागी	5 २०११	6 ३.०० लाख	7 ६.०० लाख	8 अन्य	9

स्थान- श्रीनगर

दिनांक - ०१-०१-२०१६

हस्ताक्षर-

अधिकारी का नाम- मौ. आभर

पद का नाम- पुजारी महायज्ज आभर

विभाग- खंडी (आपदा) वृत्त लोक निर्माण विभाग श्रीनगर

टिप्पणी:-

- 1- श्रेणी "क" एवं "ख" के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रण अधिकारी को अवश्य की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के क्रमिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- 2- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- 3- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कम कर उस भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का कुल मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- 4- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कानिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष के लिए दिनांक 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार)

अधिकार का पूरा नाम एवं सेवा

वर्तमान धारित पद

2. सर्वग

4. वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1. ग्राम - कोदरा पो. - गंगोलीशार जिला - पिलासभा कोदरिया तहसील पो. - कदवाड़ा तहसील जिला - पिलासभा	2. 52 नाची 7000 Sq. ft. आवासीय	3. स्वयं के नाम	4. स्वयं द्वारा उत्पन्न	5. 1992 से 1998	6. 2-5 Lac	7. 25 Lac	8. 2000/- 3000/-	9.

स्थान -

2/9/16

दिनांक -

इस्ताफर

अधिकारी का नाम

पदनाम

विभाग

हरियाणा - पिलासभा
सहायक अधीक्षक
चौ. 17-18
पिलासभा

टिप्पणी:

- श्रेणी का एच.यू. के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का सनाद होने वाले कलेंडर वर्क के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचिब्य/कमो हुई हो तो तदनुसार अचिब्य/कमो के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उच्च/अचल सम्पत्ति अधिकारी के जमा और अचल सम्पत्ति को ही पूर्ण घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 3 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड का मूल्य अंकित करना है।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा लाय तथा उस पर अभिलेखित कर के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्बन्धित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
 के लिए दिनांक: 01 जनवरी 2016
 वर्ष 2015-16
 राज्य आभियन्ता सेवा
 15600-39100-7600 ग्रेड 3

अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा वर्तमान धारित पद	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सम्बन्ध)	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (क्रय/लेज/प्राप्त/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस तिथि/वर्ष	अचल लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अनुपत्ति
जिला तहसील और गांव या राहट जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवासीय भूमि एवं अन्य भवन)-का नमूना विवरण (विशेषतः सहित)	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (क्रय/लेज/प्राप्त/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस तिथि/वर्ष	अचल लागत (रु. में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु. में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु. में)	अनुपत्ति
1. आजादगढ़ तहसील, बलपुर, आ-पटलपुर	12 एफ 2 नक़्शे अमि आभियन्ता आवासों का सम्पत्ति करतें हुए एक भवन का एक कमरा	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (क्रय/लेज/प्राप्त/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस तिथि/वर्ष	—	60 लाख	—	—
2. आजादगढ़ तहसील, बलपुर, आ-पटलपुर	एक भवन का एक कमरा	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (क्रय/लेज/प्राप्त/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस तिथि/वर्ष	—	3.00 लाख	—	—
3. आजादगढ़ तहसील, बलपुर, आ-पटलपुर	एक भवन का एक कमरा	सम्पत्ति अधिष्ठित करने का माध्यम (क्रय/लेज/प्राप्त/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस तिथि/वर्ष	3.00 लाख	13.00 लाख	4.00 लाख	—

रस्तादार अधिकारी का नाम
 पद नाम
 विभाग
 21/9/2016

स्थान
 दिनांक
 21/9/2016

अधिकारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेंडर वर्ष के लिए आलेख ई के 01 जनवरी को निर्धारित के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 06 वर्ष के सम्पत्ति प्रस्तुत की जाए।
 आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत करने पर यदि इस दिनांक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचल सम्पत्ति/कमी हुई हो तो तदनुसार आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत किया जाए।
 प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दिनांक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचल सम्पत्ति/कमी हुई हो तो तदनुसार आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत किया जाए।
 प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दिनांक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचल सम्पत्ति/कमी हुई हो तो तदनुसार आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत किया जाए।
 प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दिनांक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचल सम्पत्ति/कमी हुई हो तो तदनुसार आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत किया जाए।
 प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 06 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दिनांक पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अचल सम्पत्ति/कमी हुई हो तो तदनुसार आलेख ई के 01 जनवरी तक समाप्ति निम्नलिखित/निपटकर प्राधिकारी को अवरुद्ध प्रस्तुत किया जाए।

अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र (क)

(उन शासकीय सेवकों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरा परिवार के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में कोई अचल सम्पत्ति अर्जित जायेगी तो इस सम्पत्ति के अर्जन के एक माह के भीतर घोषणा करूंगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

घोषणा पत्र (ख)

(उन शासकीय सेवकों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है।

भू-सम्पत्ति

भूमि जो में है	क्षेत्रफल एकड़ में (वर्ग मी० में)	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित तो अर्जित करने की दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित वर्तमान लागत	अभ्युक्ति
1- देहराडून तहसील केन्द्रीय डून, आरकेडिमा ग्रान्ट।	140.00 वर्ग मी.	14-06-2004	—	5,000,00.00	
2- देहराडून तहसील केन्द्रीय डून, आरकेडिमा ग्रान्ट।	620.00	14-06-2004	—	20,00,000.00	पत्नी के नाम

नोट - अचल सम्पत्ति में रहने पर प्राप्त या लीज पर प्राप्त सम्पत्ति भी सम्मिलित है।

Sandeep
30/07/2016

उन शासकीय सेवकों के लिये जिनके किसी अंश (SHARES) या विनिधान (INVESTMENT) नहीं है

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरा परिवार किसी अंश या किसी विनिधान (INVESTMENT) का स्वामी नहीं है। इसके पश्चात यदि कोई अंश अर्जित करते हैं तो मैं सम्बन्धित अंश के लिये घोषणा में उस तिथि को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर 

नाम स्वगेन्द्र प्रसाद उप्रेती

पदनाम अधीक्षक अभियन्ता

दिनांक 30-07-2016

उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी को या जिनके अन्य विनिधान हों -

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में निम्नलिखित और विनिधान है।

अंश (SHARES)

क्र०सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
			शून्य			


30.07.2016

गृह सम्पत्ति

क्र० सं०	गृह से स्थिति			अर्जित या पैतृक यदि अर्जित तो अर्जित करने की दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन के लिये काम आता है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित लागत	अम्पत्ति
	ग्राम कस्बा नगर	जिला	गृह की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				शून्य				

यदि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) मेरा परिवार भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करेंगे तो मैं तथ्य को सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि से एक माह के भीतर घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर

नाम स्वर्गेन्द्र प्रसाद उप्रेती

पदनाम अधीक्षण अभियन्ता

दिनांक 30-7-2016

अचल सम्पत्ति का घोषणा पत्र (क)

(उन शासकीय सेवकों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी न हों)

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे , मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरा परिवार के पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि इसके पश्चात मैं , मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में कोई अचल सम्पत्ति अर्जित की जायेगी तो इस सम्पत्ति के अर्जन के एक माह के भीतर घोषणा करूंगा।

हस्ताक्षर 

नाम विश्वनाथ शर्मा

पदनाम सहायक अभियंता

दिनांक 31. 8. 16

घोषणा पत्र (ख)

(उन शासकीय सेवकों के लिये जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी हों)

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे , मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है।

भू-सम्पत्ति

भूमि जो में है	क्षेत्रफल एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित तो अर्जित करने की दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित वर्तमान लागत	अभ्युक्ति
←----- NULL -----→					

नोट - अचल सम्पत्ति में रहने पर प्राप्त या लीज पर प्राप्त सम्पत्ति भी सम्मिलित है।

उन शासकीय सेवकों के लिये जिनके किसी अंश (SHARES) या विनिधान (INVESTMENT) नहीं है

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरा परिवार किसी अंश या अन्य किसी विनिधा (INVESTMENT) का स्वामी नहीं है। इसके पश्चात यदि कोई अंश अर्जित करते हैं तो उसे मैं सम्बन्धित अवा के लिये घोषणा में उस तिथि को घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर विश्वनाथ

नाम विश्वनाथ समवाल

पदनाम राहायक अधीक्षक

दिनांक 31.8.16

उन व्यक्तियों के लिये जो अंशों के स्वामी को या जिनके अन्य विनिधान हों -

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे, मेरी पत्नी (मेरे पति) या मेरे परिवार में निम्नलिखित अंश और विनिधान है।

अंश (SHARES)

क्र०सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक अंश मूल्य	अंशों की संख्या	अंशों का कुल मूल्य	विशेष विवरण
				NIL		

गृह सम्पत्ति

क्र० सं०	गृह से स्थिति			अर्जित या पैतृक यदि अर्जित तो अर्जित करने की दिनांक	क्या रहने के प्रयोजन के लिये काम आता है या किराये पर उठाया गया है	वार्षिक किराया	अनुमानित लागत	अभ्युक्ति
	ग्राम कस्बा नगर	जिला	गृह की संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उपखर्ना इलाहाबाद इलाहाबाद	इलाहाबाद	1	अर्जित 2000 अर्जित वर्ष 2000 1/1/2003 वर्ष 2003	रकम 263 4/1	—	11.0 लाख	—

यदि मैं, मेरी पत्नी (मेरे पति) मेरा परिवार भविष्य में और अचल सम्पत्ति अर्जित करेंगे तो मैं तथ्य को सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि से एक माह के भीतर घोषित करूंगा।

हस्ताक्षर 

नाम शिवशंकर शर्मा

पदनाम सहायक अतिथि

दिनांक 31.8.16

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 15 की स्थिति के अनुसार)

- अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा रचना
- संवर्ग
- वर्तमान धारित पद
- वर्तमान वेतनमान

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nil	Nil	-	-	-	-	-	-	-

स्थान:- वैराटन
दिनांक:- 25/11/16

हस्ताक्षर
अधिकारी का नाम रचना
पदनाम आचिशासी अभियन्ता
विभाग लोक निर्माण विभाग

टिप्पणी:

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
- यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण-पत्र
(वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 की स्थिति अनुसार)

1. अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा- इं० चतुर लाल
2. संवर्ग- क
3. वर्तमान धारित पद- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
4. वर्तमान वेतनमान- 15600-39100-7600

जिला, तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्व विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/वधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (₹ में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹ में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1) कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी	2000 वर्ग फुट	इं० चतुर लाल	लीज पर स्वयं के नाम	2010-2011	15,00,000.00	20,00,000.00	शून्य	-

स्थान:- बागेश्वर

दिनांक :- 30 नवम्बर, 2016

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम- इं० चतुर लाल

पद का नाम- प्रभारी अधिशासी अभियन्ता

विभाग-नि०ख०, (ए.डी.बी.), लो.नि.वि. बागेश्वर, उत्तराखण्ड

टिप्पणी :

1. श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किए जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में, यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई अधिव्यय/कमी हुई हो तो तदनुसार अधिव्यय/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई अधिव्यय/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल क्रय मूल्य अंकित किया जाय और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड भासन के पत्र संख्या 192/XXX(2)/2012-25(27)2002 दिनांक 26-03-2012 द्वारा जारी प्रपत्र

राज्याधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण- पत्र

(वर्ष 2014 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति अनुसार)

Sanjay Pant

Engineering

2-संवर्ग- श्रेणी 'क' / ख

ख
15600 - 39100 ग्रेड पे-0- 7600

1-अधिकारी का पूरा नाम एवं सेवा-

3-वर्तमान धारित पद-

Assistant Engineer

4-वर्तमान वेतनमान-

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्ति (आवास भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रम/लीज/ बंधक /उत्तरकाशी/ उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की गयी।	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य लागत (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dehradun / Dehradun / Baniarawala	Land - 368.02 Sqm.	Self	Purchase	2005	496500.00	2208000.00	Nil	
Dehradun / Dehradun / Banjarawala	House (Under Construction)	Self	On above Land	31-12-2015	6400919.00	6400919.00	Nil	House Under Construction. Received House Loan from ICICI Bank , Amount Rs. 2500000.00
Dehradun / Vikashnagar / Sheshambara	Land - 752.00 Sqm.	Self	Purchase	2007	161870.00	900000.00	Nil	

स्थान-
दिनांक-

Dehradun
4/18/2016

हस्ताक्षर-
अधिकारी का नाम-
पद नाम-
विभाग-

Sanjay Pant
Assistant Engineer
Public Works Department

टिप्पणी-

- श्रेणी 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिये अगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारियों को अवश्य प्रस्तुत की जाए, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
- प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व में घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाए और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाए।
- यदि सम्पत्ति निर्मित आवासीय प्लॉट/अन्य भवन के रूप में क्रय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल मूल्य अंकित किया जाए और यदि भूखण्ड क्रय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयं किया गया हो तो स्तम्भ एवं भूखण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
- अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाए।

52

(वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	व्यक्ति का पूरा नाम एवं सेवा	वर्ग	वर्तमान वेतनमान
1	कुशा सिंह महल	संवर्ग	15600-39100-17600 G.P
2			
3			
4	सहायक अभियन्ता	संवर्ग	15600-39100-17600 G.P

(वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार)

1. वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार)

2. वर्ष 2015-2016 के लिए दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार) 2016 की स्थिति के अनुसार)

2.

4. वर्तमान वेतनमान 15600-39100-176005.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला, तहसील और गांव या कस्बा जिसमें स. रज. स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवं अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम (यदि स्वयं के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम और उससे सरकारी सेवक का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम (क्रय/लीज/बंधक/उत्तराधिकार/उपहार/अन्य प्रकार) तथा उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गयी	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि/वर्ष	अर्जन लागत (रु० में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु० में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु० में)	अभ्युक्ति
1 मन्नालाल दल्हाना कुराम लोडा	2 ग्राम आवासोप एलाह 2400 Sqf पकान सारिल	3 स्वयं	4 ग्राम	5 1994-1997	6 10.00	7 50.00	8 0.40	
अल्मोडा अल्मोडा ग्राम- मैन्चोड पोडाडा-डीनावाली	हामि ग्राम + आवास ग्राम- 0.29 हे० या 14 नली 3 मुहरी	स्वयं	उत्तराधिकार (ग्राम लक्षण)	2016.	-	15.00	-	स्व. पिताजी निधान के वाद उत्तराधिकार में जाय

हस्तगणित

U.S. 2011-2016

अधिकारी का नाम बालका सिंह महता

पदनाम सहस्र अक्षर

विभाग २१०२१०५१० १८५५ ८०५१४१

15-03 021041040 POB701H012012 - J. Lina
U V U

दिनांक:- 30-11-2016.

ਦਿਖਾਓ:

1. श्रीमती ए. एवं 'ख' के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर का समाप्त होने वाले कलेण्डर वर्ष के लिए आगले वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार अवल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियन्त्रक प्राधिकारी का अवश्य प्रस्तुत की जाय, किन्तु अन्य श्रेणियों के कर्मियों के द्वारा प्रत्येक 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय।
2. प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05 वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01 जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय।
3. यदि सम्पत्ति, निर्मित आवासीय फ्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ 6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय और यदि मूल्य अंकित कर कर उस पर भेदन का निर्माण स्वयं किया गयो हो तो स्तम्भ 2 में भवन एवं मूल्य अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ 6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय।
4. अवल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयं तथा उस पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित सम्पत्ति सम्मिलित की जाय।

राज्यधीन सेवाओं के कार्मिकों के द्वारा अचल सम्पत्ति का विवरण पत्र ।

(वर्ष 2016 के लिए दिनांक 01, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार)

1-अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम:- इं0 बी0एन0चौधरी,

3-वर्तमान धारित पद:-अधीक्षण अभियन्ता

2- संवर्ग:- प्राविधिक अभियन्त्रण सेवा

4- वर्तमान वेतनमान-15500-39100 ग्रेड वेतन-7600.00

जिला तहसील और गांव या शहर जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति (आवास, भूमि एवम् अन्य भवन) का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम(यदि स्वयम् के नाम न हो तो जिसके नाम सम्पत्ति हो, उसका नाम व उससे सरकारी सेवा का सम्बन्ध)	सम्पत्ति अर्जित करने का माध्यम(कय/ लीज/बंधक/ उत्तराधिकार/ उपहार/अन्य प्रकार तथा उस व्यक्ति/ व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की है)	सम्पत्ति अर्जित करने की तिथि	अर्जन लागत (रु0में)	वर्तमान अनुमानित मूल्य (रु0 में)	सम्पत्ति से वार्षिक आय (रु0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बरसात पुर (गंगानगर) गोरखपुर	भू-खण्ड-2736 वर्ग फीट, भवन-1500 वर्ग फीट	बैजनाथ चौधरी	कय-श्री कैलाश चौहान	15.5.1990	55000.00	39,00,000.00 15,00,000.00	1,44,000.00	-
लखनऊ(सदर) आदिलनगर	भू-खण्ड-2250 वर्ग फीट,	सुमित्रा चौधरी (पत्नी)	कय- श्री महेन्द्र कुमार	28.5.2001	56,250.00	3200,000.00	-शून्य-	-

स्थान- पौड़ी गढवाल ।

दिनांक- 9.11.2016

हस्ताक्षर:-

अधिकारी का नाम:- इं0 बी0एन0चौधरी,

पद का नाम:-

अधीक्षण अभियन्ता,

12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी

टिप्पणी:-

1-श्रेणी-"क" एवम् "ख" के अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले कलैण्डर वर्ष के लिए अगले वर्ष की 01 जनवरी, की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक सम्बन्धित नियुक्ति/नियंत्रक प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत की जाये, किन्तु अन्य श्रेणियों के कार्मिकों के द्वारा 05 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की जाय ।

2-प्रत्येक वर्ष/प्रत्येक 05वर्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में यदि इस दौरान पूर्व घोषित सम्पत्ति में कोई आधिक्य/कमी हुई हो तो तदनुसार आधिक्य/कमी के उपरान्त 01जनवरी को वास्तविक उपलब्ध सम्पत्ति अंकित की जाय और यदि कोई आधिक्य/कमी की स्थिति न हो तो पूर्व घोषित सम्पत्ति को ही पुनः विवरण पत्र में अंकित किया जाय ।

3-यदि सम्पत्ति,निर्मित आवासीय प्लैट/अन्य भवन के रूप में कय की गई हो तो स्तम्भ-6 में कुल कय मूल्य अंकित किया जाय, और भू-खण्ड कय कर उस पर भवन का निर्माण स्वयम् किया गया हो तो स्तम्भ-2 में भवन भू-खण्ड को पृथक-पृथक अंकित करते हुए तदनुसार स्तम्भ-6 में भूमि का मूल्य तथा भवन निर्माण की लागत को भी पृथक-पृथक अंकित किया जाय ।

4-अचल सम्पत्ति विवरण पत्र में सरकारी सेवक के द्वारा स्वयम् तथा उस पर आश्रित परिवार शामिल होंगे ।